वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2008-2009

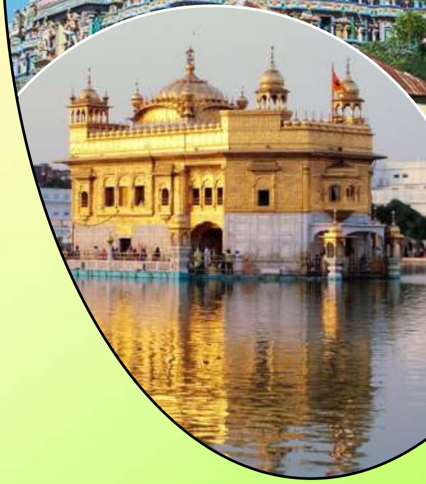

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम–मिनी रत्न श्रेणी-I)

Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprise–Mini Ratna Category-I)

मुगलसराय में नव उद्घाटित मॉड्यूलर स्टाल का दृश्य
A view of newly inaugurated Modular Stall at Mugalsarai

ऑन बोर्ड केटरिंग सर्विस्स
On Board Catering Services

कुल आय (करोड़ रु. में)
Total Income (Rs. in Crores)

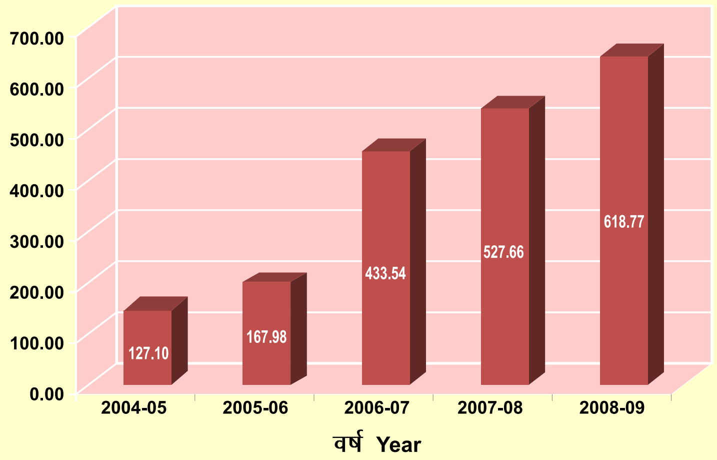

शुद्ध लाभ (कर पश्चात लाभ) करोड़ रु. में
Net Profit (Profit after Tax) Rs. in crores

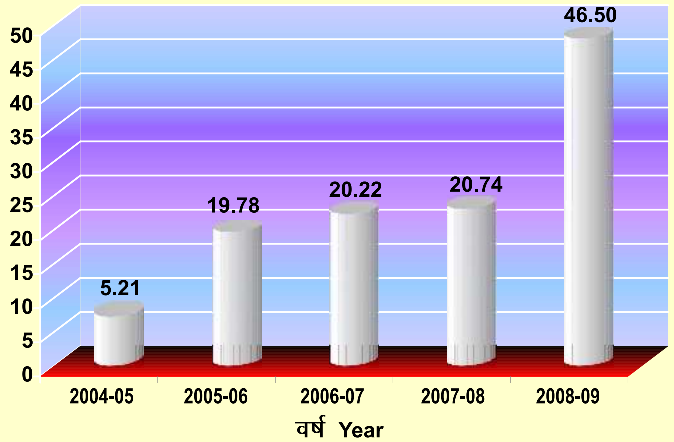

व्यवसायिक खण्डों में कुल आय का वितरण 2008-09
Distribution of Total Income Across Business Segments 2008-09

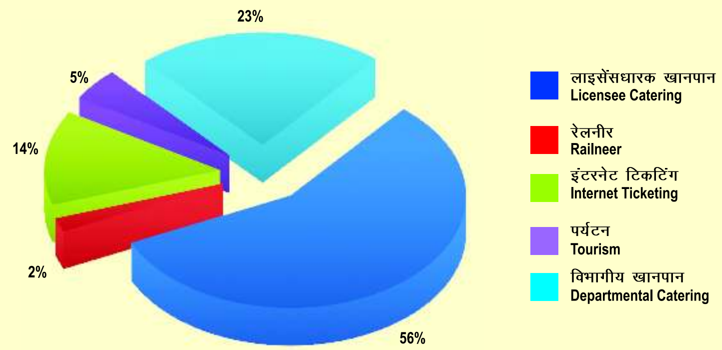

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

निदेशक बोर्ड Board of Directors

श्री श्री प्रकाश
अध्यक्ष
Shri Shri Prakash
Chairman

श्री राकेश टंडन
प्रबंध निदेशक
Shri Rakesh Tandon
Managing Director

डॉ. नलिन सिंघल
निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)
Dr. Nalin Shinghal
Director (Tourism & Marketing)

श्री विनोद अस्थाना
निदेशक (खानपान सेवाएं)
Shri Vinod Asthana
Director (Catering Services)

श्री विश्व रंजन गुप्त
निदेशक (वित्त)
Shri Vishwa Ranjan Gupta
Director (Finance)

श्री नरेश सलेचा
सरकारी निदेशक
Shri Naresh Salecha
Government Director

श्री अशोक कुमार
सरकारी निदेशक
Shri Ashok Kumar
Government Director

श्री जगदीप एस. छोकर
स्वतंत्र निदेशक
Shri Jagdeep S. Chhokar
Independent Director

श्री आलोक शिवपुरी
स्वतंत्र निदेशक
Shri Alok Shivapuri
Independent Director

श्री आर. एन. भारद्वाज
स्वतंत्र निदेशक
Shri R. N. Bhardwaj
Independent Director

श्री आर. के. अग्रवाल
स्वतंत्र निदेशक
Shri R. K. Agrawal
Independent Director

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम – मिनी रत्न श्रेणी – I)

कॉरपोरेट कार्यालय : 9वीं मंजिल, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग,
16, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110 001.
फोन : 011-23311263-64 (ईपीबीएक्स), फैक्स : 011-23311259

वार्षिक रिपोर्ट, 2008–2009

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम – मिनी रत्न श्रेणी – I)

विषय–सूची

प्रलेख	पृष्ठ सं.
अध्यक्ष का संबोधन	1 – 5
निदेशकों की रिपोर्ट	6 – 22
लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट	23 – 24
लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुबंध	25 – 27
31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र	28
31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा	29
31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण	30
तुलन–पत्र और लाभ एवं हानि लेखा की संलग्न अनुसूचियाँ	31 – 38
लेखाकरण संबंधी प्रमुख नीतियाँ	39 – 45
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ	46 – 59
तुलन–पत्र सार एवं कॉरपोरेशन के सामान्य कारोबार की रूपरेखा	60
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियाँ	61 – 62

निदेशक बोर्ड

अध्यक्ष

श्री श्री प्रकाश

प्रबंध निदेशक

श्री राकेश कुमार टंडन

कार्यरत निदेशक

श्री नलिन सिंघल,
निदेशक (पर्यटन व विपणन)

श्री विनोद अस्थाना,
निदेशक (खानपान सेवाएं)

श्री वी. आर. गुप्ता
निदेशक (वित्त)

सरकारी निदेशक

श्री अशोक कुमार

श्री नरेश सलेचा

स्वतंत्र निदेशक

श्री जगदीप एस. छोकर

श्री आलोक शिवपुरी

श्री आर. एन. भारद्वाज

श्री आर. के. अग्रवाल

बैंकर्स

1. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
2. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
3. बैंक ऑफ बड़ौदा
4. पंजाब नेशनल बैंक
5. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं इसके सहायक
6. कॉरपोरेशन बैंक
7. ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
8. सिंडीकेट बैंक
9. केनरा बैंक
10. बैंक ऑफ इंडिया
11. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
12. आंध्रा बैंक
13. इण्डियन बैंक
14. आईडीबीआई बैंक
15. सिटी बैंक
16. एक्सिस बैंक लिमिटेड
17. स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक
18. बैंक ऑफ राजस्थान
19. यस बैंक

पंजीकृत एवं कॉरपोरेट कार्यालय

9वीं मंजिल, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग,
16 संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

कॉरपोरेट कार्यालय का भाग

दूसरी व पांचवीं मंजिल, एसटीसी बिल्डिंग, जवाहर व्यापार भवन, 1, टॉलसटॉय मार्ग, नई दिल्ली–110001

इंटरनेट टिकटिंग कार्यालय :

नया परिचालन केन्द्र, उत्तर रेलवे आरक्षण कार्यालय, आईआरसीए कॉम्प्लैक्स, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली–110055.

रेलनीर संयंत्र, नांगलोई :

उत्तर रेलवे का वायरलेस स्टेशन एरिया, नांगलोई बस डिपो के सामने, रोहतक रोड, नांगलोई, दिल्ली–110041.

रेलनीर संयंत्र, दानापुर :

लोको कॉलोनी, आर.पी.एफ. बैरक्स के दक्षिण में, खगुल, दानापुर (बिहार)–801105

लेखा–परीक्षा समिति :

अध्यक्ष

श्री आर. एन. भारद्वाज

सदस्य

श्री विनोद अस्थाना,

श्री जगदीप एस. छोकर,

श्री आलोक शिवपुरी,

श्री आर. के. अग्रवाल,

कंपनी सचिव :
श्री राकेश गोगिया

सांविधिक लेखा–परीक्षक :
मैसर्स एस.पी.मारवाह एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
नई दिल्ली

जोनल कार्यालय

उत्तर जोन :
जिंजर रेलयात्री निवास,
भू–तल, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन,
अजमेरी गेट साइड,
नई दिल्ली–110001

पूर्व जोन I एवं II :
पुरानी कोयलाघाट बिल्डिंग,
3, कोयलाघाट स्ट्रीट,
कोलकाता–700 001

पश्चिम जोन :
दूसरी मंजिल, नई प्रशासनिक बिल्डिंग,
सैन्ट्रल रेलवे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल,
मुम्बई–400 001

दक्षिण जोन :
6ए, द रेन ट्री प्लेस, 9 मैक निकोलस रोड, चेटपेट,
चेन्नै–600 034

दक्षिण–मध्य जोन :
दूसरी मंजिल, एम श्री क्लासिक कॉम्पलैक्स,
सरोजनी देवी रोड, सिकंदराबाद – 500 071

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

दसवीं वार्षिक सामान्य बैठक

अध्यक्ष का संबोधन

प्रिय शेयरधारकों,

कॉरपोरेशन की दसवीं वार्षिक सामान्य बैठक में आपका हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है।

हम यहाँ 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखे, निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करने, उन पर विचार करने तथा उन्हें स्वीकार करने के लिए एकत्र हुए हैं। ये दस्तावेज पहले ही आपको उपलब्ध कराए जा चुके हैं और मैं यह मान लेता हूँ कि आप सबने इन्हें पढ़ लिया है।

मैं, अब कॉरपोरेशन के वित्तीय निष्पादन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ।

वित्तीय–निष्पादन, 2008–09

वर्ष 2008–09 के दौरान, कॉरपोरेशन ने कुल 618.77 करोड़ रु. की आय प्राप्त की जबकि 2007–08 में 527.66 करोड़ रु. की आय प्राप्त की गई थी जिससे 17.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। व्यय पर नियंत्रण कर लिया गया है और इसे पिछले वर्ष में 93 प्रतिशत की तुलना में कुल आय के 88 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, कंपनी के शुद्ध लाभ में पर्याप्त उछाल आया है जो 2007–2008 में 20.75 करोड़ रु. से बढ़कर 2008–2009 में 46.50 करोड़ रु. तक हो गया है, जिससे 124 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। 30 करोड़ रु. कर्षण प्रभार देने के बाद जैसाकि पिछले वर्ष के दौरान दिया गया था, लाभ हुआ है। 10 रु. के इक्विटी शेयर पर आय प्रति शेयर 23.25 रु. निकलती है।

निदेशक बोर्ड ने पिछले वर्ष के दौरान प्रदत्त 4.15 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2008–2009 के लिए अंतरिम लाभांश सहित 9.31 करोड़ रु. के कुल लाभांश की सिफारिश की।

कॉरपोरेशन की शुद्ध मालियत इसके प्रारंभ होने से पहली बार 100 करोड़ रु. बढ़ गई है और वह 114.46 करोड़ रु. तक पहुंच गई है।

रेलवे के राजस्व में अंशदान

वर्ष के दौरान कॉरपोरेशन ने भारतीय रेलवे के राजस्व में पिछले वर्ष के दौरान 62.76 करोड़ रु. की राशि की तुलना में 76.26 करोड़ रु. की राशि का अंशदान किया, जिसमें 21.5 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। रेलवे के राजस्व में किए गए अंशदान में कर्षण प्रभार, कंसेशन फीस, लाइसेंस फीस, उपयोगकर्त्ता प्रभार और लाभांश शामिल होते हैं।

परिचालन निष्पादन

खानपान :

वर्ष 2008–2009 में, 16 नई मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों और 55 नई ट्रेन साइड वेंडिंग रेलगाड़ियों में खानपान सेवाओं के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए।

वर्ष के दौरान, आईआरसीटीसी द्वारा विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर गर्म एवं ठंडे पेय पदार्थों की बिक्री के लिए एवीएम किऑस्क के 349 ठेके और 95 मिल्क स्टालों के ठेके दिए गए। पेठा, पेड़ा पॉपकॉर्न और किफायती जातीय क्षेत्रीय उत्पादों जैसे स्थानीय उत्पादों को भी शुरू किया गया है। वर्ष के दौरान, सामान्य छोटी यूनिटों की श्रेणी के अंतर्गत 1138 स्टालों की निविदा दी गई।

वर्ष के दौरान, कॉरपोरेशन द्वारा 6 नए फूड प्लाजा परिचालन में आए, इस प्रकार कुल परिचालनिक फूड प्लाजा 57 हो गए और विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 36 और फूड प्लाजाओं के लिए कॉरपोरेशन द्वारा लाइसेंस दिए गए।

खानपान सेवाओं का कार्य–निष्पादन सुधारने के लिए, आईआरसीटीसी ने चल रेलगाड़ियों के 7 खानपान ठेके समाप्त कर दिए हैं और इन समाप्त किए गए ठेकों में से आईआरसीटीसी पटना राजधानी और पटना गरीब रथ रेलगाड़ी को विभागीय रूप से चला रही है।

पैक किया गया पीने का पानी–रेलनीर :

पैक किए गए पीने के पानी रेलनीर के दो संयंत्र नांगलोई (दिल्ली) और दानापुर ;बिहार) में कार्य कर रहे हैं। मार्च, 2009 में नांगलोई संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन 5,500 कार्टन से बढ़कर 8,500 कार्टन प्रतिदिन हो गई है।

गुणवत्ता पहल

आईआरसीटीसी ने खानपान सेवाओं की गुणवत्ताओं में चहुंमुखी सुधार सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- नई दिल्ली में केन्द्रीय नियंत्रण द्वारा समन्वय किए जा रहे, ब्रॉडबेन्ड कनेक्टीविटी के साथ फोन, फैक्स एवं पीसी से सज्जित, नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै और सिकंदराबाद में नियंत्रण कक्षों की स्थापना।
- फोन पर और एसएमएस के द्वारा यात्रियों की शिकायतों के शीघ्र निवारण और सुझावों के लिए क्रमशः एक टॉल फ्री नम्बर 1800–111–139 और 9771–111–139 प्रारंभ करना।
- आतिथ्य में डिप्लोमा/डिग्री रखने वाले गुणवत्ता नियंत्रण व्यावसायिकों की नियुक्ति।
- मल्टीनेशनल फूड ऑडिट एवं सर्टिफिकेशन एजेंसी, मैसर्स टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया द्वारा खाद्य स्वच्छता एवं संरक्षा पर थर्ड पार्टी ऑडिट। वर्ष 2008–2009 में कुल 181 मोबाइल यूनिटों को शामिल किया गया था। आईआरसीटीसी संबंधित पहलुओं में 8.5 प्रतिशत का संपूर्ण सुधार नोटिस में आया है।
- विभिन्न पहलुओं जैसे भोजन, कर्मचारियों के व्यवहार एवं सुधार हेतु क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कम्पार्टमेन्ट संबंधित पहलुओं पर रेल यात्रियों की संतुष्टि की डिगरी मापने के लिए एक अग्रणी मार्केट अनुसंधान फर्म मैसर्स आईएमआरबी इंटरनेशनल की नियुक्ति।
- बेस किचनों, राजधानी रेलगाड़ियों और स्टालों की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में आईएसओ 22000 : 2005 के अनुसार खाद्य संरक्षा प्रबंधन प्रणाली हेतु प्रमाणन के लिए मैसर्स राइट्स की नियुक्ति।
- ठेके के अगले नवीकरण से पहले लाइसेंसधारकों को अपनी बेस किचनों के लिए आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने के लिए सलाह देना। 2008–2009 के अन्त में, कुल 43 बेस किचनों, 19 फूड प्लाजाओं और 6 रेलगाड़ियों में आईएसओ प्रमाणन है।

पर्यटन :

वर्ष के दौरान, कॉरपोरेशन ने निम्नलिखित पर्यटन कार्य शुरू किए :

- रेल टुअर पैकेज : 2008–2009 के दौरान कुल 23,768 बर्थों की बिक्री की गई जबकि पिछले वर्ष 7,077 बर्थों की बिक्री की गई थी।
- लैंड टुअर पैकेज : वर्ष के दौरान 7,891 पैकेजों की बिक्री की गई जबकि पिछले वर्ष के दौरान 1,646 पैकेजों की बिक्री की गई थी।

- कॉरपोरेशन ने 159 ट्रेन/कोच चार्टर्स शुरू किए गए, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 51 चार्टर्स शुरू किए गए थे।
- वर्ष के दौरान विलेज ऑन व्हील्स–भारतदर्शन ट्रेनों पर 18,801 व्यक्ति बुक किए गए, जबकि पिछले वर्ष 14,890 व्यक्ति बुक किए गए थे।

महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस बौद्ध परिपथ विशेष रेलगाड़ी

इसके दूसरे सीजन के दौरान, इस रेलगाड़ी ने कुल करोबार में लगभग 200 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लोकप्रियता प्राप्त की है। **फरवरी, 2009 में इसे 'अत्यधिक नवप्रवर्तित पर्यटन उत्पाद'** के रूप में **राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार** प्रदान किया गया है।

भारत दर्शन

सभी तीन भारत दर्शन रैकों का अब आईआरसीटीसी द्वारा परिचालन और विपणन किया जा रहा है।

पर्यटन पोर्टल

आईआरसीटीसी का पर्यटन पोर्टल www.railtourismindia.com वन स्टॉप ट्रेवल शॉप में तेजी से बढ़ रहा है जोकि ग्राहक की सभी यात्रा व पर्यटन की आवश्यकताओं को पूरी करेगा। पूरे देश में होटलों की ऑनलाइन बुकिंग 6 दिसंबर, 2008 को प्रारंभ की गई थी और यह पूरे देश में उपलब्ध 3000 होटलों में उत्तरोत्तर लोकप्रिय हो रही है।

शैक्षिक टुअर्स

वर्ष के दौरान, आईआरसीटीसी ने शैक्षिक टुअर्स में सफलतापूर्ण प्रयास किया है और लगभग 23, 000 विद्यार्थियों ने विभिन्न गंतव्यों तक शैक्षिक टुअर्स की सुविधा का उपयोग किया है।

लग्जरी पर्यटन रेलगाड़ी

वर्ष के दौरान, आईआरसीटीसी ने पैन इंडिया लक्जरी ट्रेन के स्वामी होने और परिचालन करने के लिए योजनाओं को अंतिम रूप दिया। आईसीएफ/चेन्नै को ट्रेन शैल्स के विनिर्माण के लिए आदेश दे दिया गया है और एक अग्रणी 5 सितारा होटल के डिजाइनर को रेलगाड़ी के आंतरिक भाग का डिजाइन बनाने के लिए नियुक्त किया गया है। आईआरसीटीसी ने रेलगाड़ी का प्रबंध संभालने के लिए मैसर्स कॉक्स और किंग्स इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित किया है। रेलगाड़ी का मार्च, 2009 में आईटीबी बर्लिन में सरकारी तौर पर अनावरण किया गया है। रेलगाड़ी का परिचालन जनवरी, 2010 तक होने की संभावना है।

इंटरनेट टिकटिंग प्रणाली

वर्ष 2008-09 के दौरान, आईआरसीटीसी की वेबसाइट **www.irctc.co.in** के माध्यम से बुक की गई टिकटों की संख्या पिछले वर्ष के दौरान बुक की गई 1.89 करोड़ टिकटों की तुलना में 4.41 करोड़ टिकटों तक हो गई है। बुक की गई टिकटों का मूल्य पिछले वर्ष के दौरान 1705 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष के दौरान 3889 करोड़ रु. तक हो गया है। टिकटों की बुकिंग ने प्रतिदिन 2,26,925 टिकटों की ऊंचाई को छुआ है।

इस वैबसाइट के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन की स्वीकृति में इसे **ईएमपीआई – इंडियन एक्सप्रेस इंडियन इन्नोवेशन अवार्ड – 2008–09''** और **सीएनबीसी आवाज – स्पेशल कमेंडेशन फॉर रिडिफानिंग इंडियन रेलवे अवार्ड, 2009** पुरस्कार प्रदान किया।

एकीकृत ट्रेन पूछताछ सिस्टम (139–रेल संपर्क कॉल सेन्टर) :

आईआरसीटीसी ने पूरे देश में रेल यात्रियों के लिए अत्याधुनिक पूछताछ सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एकीकृत ट्रेन पूछताछ सिस्टम–रेल संपर्क 139 प्रारंभ करने की परियोजना शुरू की गई थी। यह एक अग्रगामी पब्लिक प्राइवेट भागीदारी की ऐसी परियोजना थी जहां कॉल सेन्टर को कॉस्ट मॉडल से भिन्न राजस्व मॉडल के आधार पर शुरू किया गया था।

इस परियोजना से पूरे देश में रेल यात्रियों के लिए उपलब्ध पूछताछ सेवाओं की गुणवत्ता में एक विशाल परिवर्तन हुआ है। विभिन्न वैल्यू एडिड एवं प्रीमियम सेवाओं को भी प्रारंभ करने के लिए कार्य जारी है। सेवा की अद्वितीय स्वीकृति में, इसे **''पीसी–क्वेस्ट–मोस्ट इन्नोवेटिव प्रोजेक्ट अवार्ड, 2009''** प्रदान किया गया है।

चालू वर्ष की योजनाएं

आपकी कंपनी बहुत सी योजनाओं पर कार्य कर रही है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

खानपान :

नई दूरंतो एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में विभागीय खानपान सेवाएं प्रदान करने के अतिरिक्त, आईआरसीटीसी ने कर्नाटक एक्सप्रेस कन्याकुमारी – निजामुद्दीन एक्सप्रेस–कोचीविल्ली एक्सप्रेस जैसी लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में भी खानपान सेवाएं शुरू की गई हैं। केरल एक्सप्रेस आदि जैसी अन्य रेलगाड़ियों में भी इसकी योजनाएं हैं।

- **सामरिक महत्व का गठबंधन** : मोबाइल केटरिंग और रेलनीर के क्षेत्रों में।
- **स्थायी यूनिटें** : प्रापण प्रक्रिया को आधुनिक बनाना, सेवाओं का मानकीकरण और बेस किचनों में स्वचालित यंत्रों का प्रयोग।
- **रेलनीर क्षमता** : रेलनीर संयंत्र, दानापुर में कार्टनों की क्षमता प्रतिदिन 5500 से 8500 तक बढ़ाना।
- **नए रेलनीर संयंत्र** : दक्षिण क्षेत्र के लिए, प्रतिदिन 15,000 कार्टन के रेलनीर संयंत्र चेन्नै के निकट पलूर में स्थापित किया जा रहा है। निविदा दे दी गई है और बिल्डिंग की स्थापना के लिए वास्तविक कार्य अग्रिम चरण में है। पश्चिम क्षेत्र के लिए, मुम्बई के निकट अम्बेरनाथ में रेलनीर संयंत्र के लिए वास्तुकार और संयंत्र परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर दी गई है। संयंत्र की दर क्षमता 25,000 कार्टन प्रतिदिन है।
- **मॉड्यूलर स्टाल** : मॉड्यूलर स्टालों के एकसमान डिजाइन वाले सभी केटरिंग स्टालों की प्रतिस्थापना। मैसर्स जिंदल स्टील ऐसे प्रोटोटाइप पर कार्य कर रही है जो लम्बी आयु और सौदयपरक छवि प्रदान करेगा।
- **सेल किचन/बेस किचन** : अन्य 100 लाइसेंसधारक सेल किचनों की स्थापना करने की योजना है।
- **फूड प्लाजा/फास्ट फूड यूनिट/क्विक सर्विस फूड किऑस्क** : 20 से अधिक फूड प्लाजा, 20 फास्ट फूड यूनिट और 5 क्विक सर्विस किऑस्क योजना के अग्रिम चरण में है।
- **फूड कोर्ट्स** : स्टेशनों पर समसामयिक आंतरिक डिजाइनों वाले फूड कोर्ट्स का विकास।

पर्यटन

- पैन इंडिया इटिनररीज के साथ लक्जरी टूरिस्ट ट्रेन प्रारंभ करना।
- अखिल भारतीय आधार पर शैक्षिक टुअर बढ़ाना।
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सामरिक गठबंधन।
- विदेशी पर्यटकों के लिए व्यापक यात्रा सेवाएं।

इंटरनेट टिकटिंग

- आईटी इन्फ्रॉस्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण
- डिजास्टर रिकवरी साइट की स्थापना

निदेशक बोर्ड :

मैं, कॉरपोरेशन के निदेशक बोर्ड की ओर से एवं स्वयं अपनी ओर से निवर्तमान अध्यक्ष, श्री विनू नारायण माथुर और अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक, श्री एस.बी. माथुर तथा श्री अरविन्द शर्मा के प्रति उनके द्वारा दिए गए अमूल्य मार्गदर्शन एवं सेवाओं के लिए आभार प्रकट करता हूँ। मैं, कॉरपोरेशन के निदेशक बोर्ड में अपने नवनियुक्त प्रबंध निदेशक, श्री राकेश कुमार टंडन, निदेशक (वित्त), श्री वी.आर.गुप्ता और स्वतंत्र निदेशक, श्री आर.एन.भारद्वाज तथा श्री आर.के. अग्रवाल का भी स्वागत करता हूँ।

आभार :

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं शेयरधारकों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने कॉरपोरेशन में विश्वास बनाए रखा। मैं, भारत सरकार, रेल मंत्रालय और क्षेत्रीय रेलों के प्रति उनके अमूल्य मार्गदर्शन और सहायता के लिए भी उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

इसके अतिरिक्त, मैं कॉरपोरेशन के समग्र विकास और वृद्धि में कर्मचारियों तथा संबद्ध एजेंसियों की प्रतिबद्धता, योगदान और कर्त्तव्यनिष्ठा के लिए उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा।

साथ ही, मैं यह दोहराना चाहूँगा कि मेरे सहयोगियों की प्रतिबद्धता, कर्तव्यनिष्ठा और कठोर परिश्रम के फलस्वरूप कॉरपोरेशन आने वाले वर्षों में बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल होगा।

धन्यवाद,

हस्ता. /-

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 सितम्बर, 2009

(श्री प्रकाश)
अध्यक्ष

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,
शेयरधारकों,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कॉरपोरेशन के परीक्षित लेखा के साथ दसवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

1. वित्तीय निष्पादन :

वर्ष 2008–09 के दौरान, कॉरपोरेशन ने कुल 618.77 करोड़ रु. की आय प्राप्त की जबकि 2007–08 में 527.66 करोड़ रु. की आय प्राप्त की गई थी जिसके द्वारा 17.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि इस तथ्य के बावजूद प्राप्त की गई थी कि बेडरोल और सफाई कारोबार रेलवे को वापस हस्तांतरित कर दिया गया है। पिछले वर्ष की अपेक्षा 2008–09 में आय में प्रमुख वृद्धि लाइसेंसधारक केटरिंग (289.20 करोड़ रु. से 341.02 करोड़ रु. तक), इंटरनेट टिकटिंग में पर्याप्त उछाल (39.18 करोड़ रु. से 74.81 करोड़ रु. तक) और पर्यटन गतिविधियों (9.72 करोड़ रु. से 27.94 करोड़ रु. तक) के कारण प्राप्त हुई थी।

लाइसेंस केटरिंग की आय में वृद्धि अधिक संख्या में यूनिटों की निविदा देने, कुशल निविदा देने की प्रणाली और स्थायी यूनिटों से लाइसेंस फीस में वृद्धि के कारण हुई। इंटरनेट टिकटिंग में पर्याप्त उछाल अच्छे मार्केटिंग प्रयासों, उन्नत इन्फ्रास्ट्रक्चर और संशोधित ग्राहक सेवा के कारण देखी गई थी। पर्यटन कारोबार में वृद्धि शैक्षिक टुअर कारोबार में आईआरसीटीसी के प्रयास, आईआरसीटीसी द्वारा भारत दर्शन रेलगाड़ियों के टुअर पैकेज कारोबार को अपने अधिकार में लेने के कारण प्राप्त हुई थी।

2007–08 में 20.75 करोड़ रु. की तुलना में 2008–09 के दौरान 46.50 करोड़ रु. का शुद्ध लाभ बढ़ाए गए राजस्व और व्यय पर नियंत्रण के कारण अर्जित हुआ। कर्षण प्रभार (हॉलेज चार्जिज) के रूप में 30.00 करोड़ रु. की रकम प्रदान की गई है, जैसी कि पिछले वर्ष के दौरान प्रदान की गई थी। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार कॉरपोरेशन की आरक्षित निधि और अधिशेष 94.46 करोड़ रु. रहा। कॉरपोरेशन की शुद्ध मालियत पिछले वर्ष के दौरान 78.85 करोड़ रु. से बढ़कर समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 114.46 करोड़ रु. हो गई।

कॉरपोरेशन द्वारा अर्जित लाभ को निम्नलिखित रूप से विनियोजित किया गया है :

(करोड़ रु. में)

विवरण / समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2009	31 मार्च, 2008
कर–पूर्व लाभ	73.85	32.97
कर के लिए प्रावधान	27.42	11.00
फ्रिन्ज लाभकर के लिए प्रावधान	0.65	00.50
आस्थगित कर	(0.72)	00.72
करोपरांत लाभ	46.50	20.75
अग्रानीत लाभ	8.93	9.04
पूर्व वर्षों के लिए कर समायोजन		
पिछले वर्ष के लिए आस्थगित कर	शून्य	शून्य
आरक्षित निधि में अंतरण	35.00	16.00
लाभांश (लाभांश कर सहित)	10.86	4.86
तुलन–पत्र के लिए अग्रानीत लाभ	**9.54**	**8.93**

2. रेलवे के राजस्व में अंशदान

वर्ष के दौरान कॉरपोरेशन ने भारतीय रेलवे के राजस्व में पिछले वर्ष के दौरान 62.76 करोड़ रु. की राशि की तुलना में 76.26 करोड़ रु. की राशि का अंशदान किया। रेलवे के राजस्व में किए गए अंशदान में कर्षण प्रभार, कंसेशन फीस, लाइसेंस फीस, उपयोगकर्त्ता प्रभार और लाभांश शामिल होते हैं। विभिन्न क्षेत्रीय रेलों के साथ राजस्व की भागीदारी 17 जनवरी, 2007 के समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार की गई है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, वर्ष के दौरान 3888.82 करोड़ रु. मूल्य की टिकटें बुक की गईं जबकि पिछले वर्ष के दौरान 1705.30 करोड़ रु. मूल्य की टिकटें बुक की गईं।

3. कारोबार का निष्पादन :

चल केटरिंग– लाइसेंसधारक :

आईआरसीटीसी ने भारतीय रेल के नेटवर्क पर चलने वाली पेन्ट्रीकारों सहित रेलगाड़ियों को पूर्णतः अधिकार में ले लिया है। वर्ष के दौरान बिना पेन्ट्रीकारों वाली 97 रेलगाड़ियों जिनमें 19 गरीब रथ रेलगाड़ियां शामिल हैं, के लिए ठेकों को अंतिम रूप दिया गया है और परिचालन किया गया है।

31.03.2009 की स्थिति के अनुसार कॉरपोरेशन 255 रेलगाड़ियों में खानपान सेवाओं का प्रबंध संभाल रहा है जिसका विवरण निम्नलिखित अनुसार है :

1. 14 राजधानी
2. 13 शताब्दी
3. 16 संपर्क क्रांति
4. 16 जनशताब्दी
5. 196 मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियां

वर्ष 2008–2009 में, 16 नई मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों और 55 नई ट्रेन साइड वेंडिंग रेलगाड़ियों में खानपान सेवाओं के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए।

स्थायी केटरिंग–लाइसेंसधारक :

वर्ष के दौरान आईआरसीटीसी द्वारा विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर गर्म एवं ठडें पेय पदार्थों की बिक्री के लिए एवीएम किऑस्क के 349 ठेके और 95 मिल्क स्टालों के ठेके दिए गए। पेठा, पेड़ा पॉपकार्न आदि जैसे स्थानीय उत्पादों को भी लाइसेंस दिए गए हैं। वर्ष के दौरान सामान्य छोटी यूनिटों की श्रेणी के अंतर्गत 1138 स्टालों को निविदा दी गई।

वर्ष के दौरान 6 नए फूड प्लाजा परिचालन में आए, इस प्रकार कुल परिचालनिक फूड प्लाजा 57 हो गए और विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 36 और फूड प्लाजाओं के लिए कॉरपोरेशन द्वारा लाइसेंस दिए गए।

विभागीय केटरिंग :

31.03.09. की स्थिति के अनुसार 4 राजधानी रेलगाड़ियां और 4 मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियां परिचालन में थी। अगस्त 2008 से विभागीय परिचालन के अंतर्गत पटना राजधानी रेलगाड़ी को अपने अधिकार में लिया था। वर्ष के दौरान कुल 518 स्टाल और 419 ट्रालियां विभागीय परिचालन के अंतर्गत थी।

वर्ष 2008–2009 के दौरान विभागीय खानपान को 54.98 करोड़ रु. की हानि हुई है। यह मुख्यतः 2 खातों में हुई है।

क. कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण सामग्री की अधिक लागत।

ख. एचआर की अधिक लागत।

बकाया देय राशि :

बकाया देय राशि की तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है।

(करोड़ रू. में)

विवरण	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार	31.03.2008 की स्थिति के अनुसार
रेलवे	154.71	116.79
गैर रेलवे	85.01	75.28
जोड़	239.72	192.07

वर्ष के दौरान, फुटकर देनदारी 192.07 करोड़ रु. से बढ़कर 239.72 करोड़ रु. हुई। बहरहाल, दिनांक 31.03.2009 के दस्तावेजों के द्वारा अप्रैल, 2009 के पहले सप्ताह में 63.82 करोड़ रु. की राशि वसूल की गई थी। उसे अप्रैल, 2009 के दौरान बही खातों में लिख दिया गया है।

पर्यटन गतिविधियां

वर्ष के दौरान, कॉरपोरेशन ने निम्नलिखित कारोबार किया :

- रेल टुअर पैकेज : 2008–2009 के दौरान कुल 23,768 बर्थों की बिक्री की गई जबकि पिछले वर्ष 7,077 बर्थों की बिक्री की गई थी।
- लैंड टुअर पैकेज : वर्ष के दौरान 7,891 पैकेजों की बिक्री की गई जबकि पिछले वर्ष के दौरान 1,646 पैकेजों की बिक्री हुई थी।
- कॉरपोरेशन ने 159 ट्रेन/कोच चार्टर्स शुरू किए गए, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 51 चार्टर्स शुरू किए गए थे।
- वर्ष के दौरान विलेज ऑन व्हील्स–भारतदर्शन ट्रेनों पर 18,801 व्यक्ति बुक किए गए, जबकि पिछले वर्ष 14,890 व्यक्ति बुक किए गए थे।
- पिछले वर्ष के दौरान हिल रेलवे पर परिचालित 46 चार्टर्स कोचों की तुलना में वर्ष के दौरान 25 चार्टर्ड कोच परिचालित किए गए। यह गिरावट मुख्यतः दार्जिलिंग में कानून एवं व्यवस्था की समस्या के कारण हुई।

महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस बौद्ध परिपथ विशेष रेलगाड़ी

इसके दूसरे सीजन के दौरान, इस रेलगाड़ी ने कुल करोबार में लगभग 200 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लोकप्रियता प्राप्त की है। फरवरी, 2009 में इसे 'अत्यधिक नवप्रवर्तित पर्यटन उत्पाद' के रूप में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस प्रकार के उत्पाद के लिए यह एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। एक बहु–तरफा मार्केटिंग रणनीति आगामी सीजन के लिए शामिल की गई है।

भारत दर्शन

आईआरसीटीसी द्वारा सभी तीन भारत दर्शन रैकों का अब परिचालन और विपणन किया जा रहा है।

पर्यटन पोर्टल

आईआरसीटीसी का पर्यटन पोर्टल www.railtourismindia.com वन स्टॉप ट्रेवल शॉप के रूप में तेजी से बढ़ रहा है जोकि ग्राहक की यात्रा व पर्यटन की सभी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। पूरे देश में होटलों की ऑनलाइन बुकिंग 6 दिसंबर, 2008 को प्रारंभ की गई थी और यह पूरे देश में उपलब्ध 3000 होटलों में उत्तरोत्तर लोकप्रिय हो रही है।

शैक्षिक टुअर्स

वर्ष के दौरान आईआरसीटीसी ने शैक्षिक टुअर्स में एक सफलतापूर्ण प्रयास किया है और लगभग 23,000 विद्यार्थियों और अध्यापकों ने शैक्षिक टुअर्स की सुविधा का उपयोग विभिन्न गंतव्यों तक किया है।

लग्जरी पर्यटन रेलगाड़ी

वर्ष के दौरान, आईआरसीटीसी ने पैन इंडिया लक्जरी ट्रेन के स्वामी होने और परिचालन करने के लिए योजनाओं को अंतिम रूप दिया। इस प्रयोजन के लिए, आईसीएफ/चेन्नै को ट्रेन शैल्स के विनिर्माण के लिए आदेश दिया गया है और एक अग्रणी 5 सितारा होटल के डिजाइनर को रेलगाड़ी के आंतरिक भाग का डिजाइन बनाने के लिए नियुक्त किया गया है। संपूर्ण परियोजना की अनुमानित लागत 49.48 करोड़ रु. होगी। आईआरसीटीसी ने रेलगाड़ी का प्रबंध संभालने के लिए मैसर्स कॉक्स एण्ड किंग्स इंडिया लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है। रेलगाड़ी का मार्च, 2009 में आईटीबी बर्लिन में सरकारी–तौर पर अनावरण किया गया है और एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग आंदोलन प्रारंभ किया गया है। रेलगाड़ी का परिचालन जनवरी, 2010 तक होने की संभावना है।

इंटरनेट टिकटिंग प्रणाली :

वर्ष 2008–2009 के दौरान, आईआरसीटीसी की वेबसाइट **www.irctc.co.in** के माध्यम से बुक की गई टिकटों (ई और आई दोनों टिकटों) की संख्या पिछले वर्ष के दौरान बुक की गई 1.89 करोड़ टिकटों की तुलना में 4.41 करोड़ टिकटों तक हो गई है। बुक की गई टिकटों का मूल्य पिछले वर्ष के दौरान 1705 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष के दौरान 3889 करोड़ रु. तक हो गया है। टिकटों की बुकिंग ने प्रतिदिन 2,26,925 टिकटों की ऊंचाई को छुआ है और वर्ष के दौरान कई महीनों से प्रतिमाह 40 लाख से अधिक टिकटों की बिक्री हुई। एक दिन में आईआरसीटीसी वेबसाइट के माध्यम से बेची गई औसत टिकटें मार्च, 2009 के दौरान 1,71,744 थी।

इस वैबसाइट के उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन की स्वीकृति में, निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए गए हैं:–

- ईएमपीआई – इंडियन एक्सप्रेस इंडियन इन्नोवेशन अवार्ड – 2008–09'' ।
- सीएनबीसी आवाज – स्पेशल कमंडेशन फॉर रिडिफानिंग इंडियन रेलवे अवार्ड, 2009।

एकीकृत ट्रेन पूछताछ सिस्टम (139–रेल संपर्क कॉल सेन्टर) :

आईआरसीटीसी ने पूरे देश में रेल यात्रियों के लिए अत्याधुनिक पूछताछ सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एकीकृत ट्रेन पूछताछ सिस्टम–रेल संपर्क 139 प्रारंभ करने की परियोजना शुरू की गई थी। यह एक अग्रगामी पब्लिक प्राइवेट भागीदारी की ऐसी परियोजना थी जहां कॉल सेन्टर को कॉस्ट मॉडल से भिन्न राजस्व मॉडल के आधार पर शुरू किया गया था।

इस परियोजना से पूरे देश में रेल यात्रियों के लिए उपलब्ध पूछताछ सेवाओं की गुणवत्ता में एक विशाल परिवर्तन हुआ है। विभिन्न वैल्यू एडिड एवं प्रीमियम सेवाओं को भी प्रारंभ करने के लिए कार्य जारी है। सेवा की अनूठे प्रकार की स्वीकषति में, इसे ''पीसी–क्वेस्ट–मोस्ट इन्नोवेटिव प्रोजेक्ट अवार्ड, 2009'' प्रदान किया गया।

पैक किया गया पीने का पानी (रेलनीर)

पैक किए गए पीने के पानी रेलनीर के दो संयंत्र नांगलोई (दिल्ली) और दानापुर (बिहार) में कार्य कर रहे हैं। वर्ष के दौरान, नांगलोई और दानापुर में रेलनीर का उत्पादन क्रमशः 2.11 करोड़ और 1.69 करोड़ बोतलें थी। नांगलोई संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन 5,500 कार्टन से बढ़कर 8,500 कार्टन प्रतिदिन हो गई है।

पलूर (तमिलनाडु) और अम्बेरनाथ (महाराष्ट्र) में दो रेलनीर संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं।

रेलनीर का वितरण संसद भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, रेलवे बोर्ड और विदेश मंत्रालय आदि के अतिरिक्त विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर किया जा रहा है।

रेलनीर पैक किए गए पीने के पानी के संबंध में विख्यात प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए परीक्षणों के परिणामों से पता चला है कि रेलनीर की क्वालिटी कीटनाशक अवशेषों के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी) के प्रतिमानकों के अनुरूप है, जोकि वास्तव में अनूठी उपलब्धि है।

4. गुणवत्ता नियंत्रण एवं शिकायत निवारण प्रणाली

- ऑन बोर्ड ट्रेन सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, आईआरसीटीसी ने नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै और सिकंदराबाद में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। इन जोनल नियंत्रणों को सुदृढ़ और ब्रॉडबैण्ड कनैक्टिविटी के साथ फोन, फैक्स, पीसी सज्जित किया गया है तथा सप्ताह के सातों दिन रात–दिन कार्यरत रहते हैं। नई दिल्ली में स्थित केन्द्रीय नियंत्रण कार्यालय शिकायतों की प्रभावी मॉनीटरिंग और खानपान गतिविधियों के लिए सभी पांचों जोनल कार्यालयों के साथ नियमित रूप से समन्वय रखता है।
- फोन पर यात्रियों द्वारा भेजी गई शिकायतों के शीघ्र निवारण और सुझावों के लिए एक टॉल फ्री नम्बर 1800–111–139 प्रारंभ किया गया है। यात्री बिना किसी प्रभार के रेलगाड़ी से इस नं. पर कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायत और सुझाव दर्ज करा सकते हैं।
- यात्री द्वारा शिकायत/सुझाव भेजने का दूसरे विकल्प की सुविधा देने के वास्ते, फोन नं. 9971–111–139 पर एसएमएस के माध्यम से शिकायत प्राप्त करने की सुविधा शुरू की गई है। इससे यात्री बिना किसी प्रभार के शिकायत निवारण प्रणाली तक आसानी से पहुंच सकेंगे।
- दो अथवा अधिक वर्षों के फील्ड अनुभव सहित आतिथ्य में डिप्लोमा/डिग्रीधारी गुणवत्ता नियंत्रण व्यावसायिकों को अगस्त, 2008 में भर्ती/नियुक्त किया गया और उन्हें जोनल एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात किया गया। ऑन बोर्ड सेवाओं में पूरी तरह सुधार करने के लिए उनको विशेष ट्रेनें आबंटित की गईं हैं।
- मैसर्स टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया, बहुराष्ट्रीय खाद्य लेखा–परीक्षा एवं प्रमाणन एजेंसी को खाद्य स्वच्छता एवं संरक्षा लेखापरीक्षा के संबंध में तीसरी पार्टी लेखापरीक्षा के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वर्ष 2008–2009 में कुल 181 मोबाइल यूनिटों को शामिल किया गया था। आईआरसीटीसी संबंधित पहलुओं में 8.47 प्रतिशत का संपूर्ण सुधार नोटिंस में आया है जिसमें सफाई एवं स्वच्छता, खाद्य भण्डारण, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्तिगत व्यवहार, प्रस्तुतीकरण आदि शामिल है।

  मैसर्स टीयूवी एसयूडी द्वारा प्रस्तुत खाद्य परीक्षा रिपोर्टों में खाद्य स्वच्छता एवं संरक्षा में और सुधार प्राप्त करने के लिए एक सप्ताह, तीन–चार सप्ताह और आठ सप्ताह की कार्यान्वयन अवधि वाली क्रमशः कम अवधि, मध्यम अवधि व लम्बी अवधि की सिफारिशें की गई हैं, जोकि कार्यान्वित की गई है/कार्यान्वयन के अधीन हैं।
- एक अग्रणी मार्केट अनुसंधान फर्म मैसर्स आईएमआरबी अंतर्राष्ट्रीय को विभिन्न पहलुओं जैसे भोजन एवं अल्पाहार, बेड रोल एवं लिनन, कर्मचारियों के व्यवहार एवं सुधार हेतु क्षेत्र की पहचान करने के लिए कम्पार्टमेन्ट संबंधित पहलुओं पर रेल यात्रियों की संतुष्टि की डिगरी मापने के लिए नियुक्त किया गया है। यात्रियों के लिए ऑन बोर्ड संपूर्ण अनुभव प्राप्त करने हेतु उत्तरदायी कारकों को निम्नलिखित चार विस्तृत पहलुओं में वर्गीकृत किया गया है : (1) कम्पार्टमेंट संबंधित पहलू (2) भोजन एवं अल्पाहार संबंधित पहलू (3) कर्मचारी व्यवहार संबंधित पहलू और (4) बेड रोल संबंधित पहलू।

  वर्ष 2007–08 और 2008–09 की श्रेणी की तुलना करते समय राजधानी रेलगड़ियों में 2.01 प्रतिशत, शताब्दी रेलगाड़ियों में 1.03 प्रतिशत और मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में 2.24 का कुल सुधार देखा गया है।

- मैसर्स राइट्स, एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को बेस किचनों, राजधानी ट्रेनों और आईआरसीटीसी के स्टालों की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) में आईएसओ 22000 : 2005 के अनुसार खाद्य संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस) के प्रमाणन के लिए नियुक्त किया गया है। हावड़ा, मुम्बई सेन्ट्रल और नई दिल्ली में स्थित तीन विभागीय बेस किचनों को आईएसओ 22000 : 2005 प्रमाणित किया गया है। इसके अतिरिक्त विभागीय राजधानियों अर्थात् मुम्बई सेन्ट्रल राजधानी, अगस्त क्रांति राजधानी एवं हावड़ा राजधानी को भी प्रमाणन एजेंसी द्वारा आईएसओ 22000 : 2005 प्रमाणित किया गया है। अगले चरण में आरजेपीबी और पटना राजधानी (2309–10) में विभागीय बेस किचन को आईएसओ प्रमाणन के लिए स्वीकार किया गया है।

  लाइसेंसधारकों को ठेके के अगले नवीकरण से पहले अपनी खानपान यूनिटों के लिए आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने की सलाह दी गई है। आईआरसीटीसी नेटवर्क पर आईएसओ खानपान यूनिटों के आईएसओ प्रमाणन की स्थिति नीचे दी गई है :

खानपान यूनिट	बेस किचन	फूड प्लाजा	रेलगाड़ी	जोड़
2007–08 तक	23	8	2	33
2008–09 के दौरान	20	11	4	35
जोड़	**43**	**19**	**6**	**68**

  5 केटरिंग यूनिटों को आईएसओ 22000 के अंतर्गत, अन्य 15 यूनिटों को आईएसओ 9000 + एचएसीसीपी के अंतर्गत और शेष यूनिटों का आईएसओ 9000 के अंतर्गत शामिल किया गया है। लाहसेंसधारकों को भी यह सूचित किया गया है कि अपनी केटरिंग यूनिटों को आईएसओ 22000 : 2005 प्रमाणन में शामिल कर लें, जहां कहीं उन्हें शामिल नहीं किया गया है।

5. **भविष्य की योजनाएं** : पर्यटन, खानपान गतिविधियों और इंटरनेट टिकटिंग के लिए कुछ योजनाओं के संबंध में पहल की गईं हैं, जो निम्नलिखित हैं :

- **सामरिक महत्व का गठबंधन** : आईआरसीटीसी चल केटरिंग, रेलनीर तथा उत्पाद फार्मेशन के क्षेत्र में गंठबंधन के लिए कार्य कर रहा है। दूध उत्पाद के लिए अमूल और एनसीडीएफआई के साथ और ईधन के लिए आईओसी के साथ गठबंधन किया गया है।
- **स्थायी यूनिटें** : प्रापण प्रक्रिया को आधुनिक बनाना, सेवाओं का मानकीकरण करना और बेस किचनों में स्वचालित यंत्रों का प्रयोग प्रमुख स्थायी यूनिटों में केन्द्रीभूत क्षेत्र हैं।
- **रेलनीर क्षमता** : रेलनीर संयंत्र नांगलोई में प्रतिदिन कार्टन की क्षमता 5500 से 8500 तक बढ़ा दी गई है और दानापुर रेलनीर संयंत्र में क्षमता बढ़ाने के लिए वास्तविक कार्य प्रगति पर है।
- **नए रेलनीर संयंत्र** : दक्षिण क्षेत्र के लिए, रेलनीर संयंत्र चेन्नै के निकट पलूर में स्थापित किया जा रहा है। निविदा दे दी गई है और बिल्डिंग की स्थापना के लिए वास्तविक कार्य अग्रिम चरण में है। पश्चिम क्षेत्र के लिए, मुम्बई के निकट अम्बेरनाथ में रेलनीर संयंत्र के लिए वास्तुकार और संयंत्र परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर दी गई है।
- **मॉड्यूलर स्टाल** : मॉड्यूलर स्टालों की एक समान की डिजाइन वाली सभी केटरिंग स्टालों को बदलने का कार्य शुरू किए जाने का प्रस्ताव है और मैसर्स जिंदल स्टील ऐसे प्रोटोटाइप पर कार्य कर रही है जो इनकी लम्बी आयु और सौंदर्यपरक छवि प्रदान करेगा।
- **सेल किचन/बेस किचन** : अन्य 100 लाइसेंसधारक सेल किचनों की स्थापना करने की योजना है।
- **फूड प्लाजा/फास्ट फूड यूनिट/क्विक सर्विस फूड किऑस्क** : 52 फूड प्लाजा, 13 फास्ट फूड यूनिट

और 1 क्विक सर्विस किऑस्क इस समय परिचालन में है। 20 से अधिक फूड प्लाजा, 20 फास्ट फूड यूनिट और 5 क्विक सर्विस फूड किऑस्क योजना के अंतिम अग्रिम चरण में है।

- **फूड कोर्ट्स** : आईआरसीटीसी स्टेशनों पर समसामयिक आंतरिक डिजाइन वाले फूड कोर्ट्स का विकास करने की योजना बना रहा है।

पर्यटन

- पैन इंडिया इटिनरीज के साथ लक्जरी टूरिस्ट ट्रेन प्रारंभ करना।
- अखिल भारतीय आधार पर शैक्षिक टुअर बढ़ाना।
- रेल टुअर पैकेज कारोबार का और अधिक विकास।
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सामरिक गठबंधन।
- आईआरसीटीसी बेबसाइट पर विदेशी पर्यटक बुकिंग टिकटों के लिए व्यापक यात्रा सेवाएं।

इंटरनेट टिकटिंग

- आईटी इन्फ्रॉस्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण
- डिजास्टर रिकवरी साइट की स्थापना

6. मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण संबंधी पहल :

वर्ष के दौरान, कॉरपोरेशन ने स्टाफ के प्रशिक्षण पर 35.75 लाख रुपए खर्च किए जबकि पिछले वर्ष के दौरान 18.11 लाख रुपए खर्च हुए थे। कॉरपोरेशन ने स्टाफ के लिए प्रसिद्ध फूड क्राफ्ट प्रशिक्षण क्षेत्रीय और सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

कॉरपोरेशन ने सभी श्रेणियों के स्टाफ अर्थात् अधिकारियों, गुणवत्ता नियंत्रण व्यावसायिकों, निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों, बावर्चियों, बेयरों आदि के लिए कौशल उन्नयन और व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ बहुत बडी संख्या में केटरिंग स्टाफ को हुआ है। इसके अतिरिक्त, विभागीय बावर्चियों के कौशल उन्नयन हेतु सर्वोत्तम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खाद्य संस्थानों में विशिष्ट प्रशिक्षण दिया गया।

7. लाभांश :

वित्तीय परिणामों को ध्यान में रखते हुए, निदेशक बोर्ड ने 4.00 करोड़ रु. के अंतरिम लाभांश की सिफारिश की। निदेशक बोर्ड ने अब 2008–2009 के लिए अंतरिम लाभांश सहित (लगभग, शुद्ध लाभ का 20 प्रतिशत) 9.31 करोड़ रु. के कुल लाभांश की सिफारिश की है।

8. पूंजीगत ढांचा :

31 मार्च, 2009 को कॉरपोरेशन की प्रदत्त शेयर पूंजी 20.00 करोड़ रुपये थी। भारत सरकार कॉरपोरेशन की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी अपने पास रखती है। वर्ष के दौरान, प्रदत्त शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

9. औद्योगिक संबंध :

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे।

10. राष्ट्रपति के निर्देश/सरकारी निर्देश :

वित्तीय वर्ष 2008–2009 के दौरान राष्ट्रपति के कोई निर्देश सरकार से प्राप्त नहीं हुए थे।

11. सतर्कता :

कॉरपोरेशन में एक पूर्ण सतर्कता विभाग है। श्रीमती सुन्दरी सुब्रमनियम पुजारी, मुख्य सतर्कता अधिकारी इसकी प्रधान हैं और इनकी हैसियत एक संयुक्त सचिव की है।

सत्यनिष्ठा का समझौता

आईआरसीटीसी के निदेशक बोर्ड के 'सिद्धात रूप में' अनुमोदन ने एक अच्छे शासन के साधन के रूप में एक सत्यनिष्ठा का समझौता किया। आईआरसीटीसी द्वारा सत्यनिष्ठा का समझौता का अपनाना स्वस्थ कारोबार की पद्धतियां स्थापित करने में दूर तक काम आएगा।

12. राजभाषा :

कॉरपोरेशन ने राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाए किए हैं। दिन–प्रतिदिन के कार्य में हिंदी के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए कॉरपोरेशन ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की है।

कॉरपोरेशन राजभाषा अधिनियम के दिशा–निर्देशों का पालन कर रहा है। वार्षिक रिपोर्ट साथ–साथ हिंदी में प्रकाशित की जाती है। कंपनी सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार हिंदी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगी। हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने वाले अधिकारी और कर्मचारी दिन–प्रतिदिन के कार्य में हिंदी का प्रयोग करते हैं।

13. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा में आय और व्यय आदि का विवरण:

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा में आय और व्यय के संबंध में कंपनी (निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटीकरण) नियम, 1988 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) (ङ) के उपबंधों के अनुसार ब्योरा अनुलग्नक–I पर दिया गया है।

14. कर्मचारियों का विवरण :

कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के उपबंधों के अंतर्गत यथा अपेक्षित, कोई भी कर्मचारी उसमें निर्धारित सीमा से अधिक वेतन और भत्ते प्राप्त नहीं कर रहा था।

15. निदेशकों के उत्तरदायित्व के कथन :

निदेशकों के उत्तरदायित्व के कथन के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2कक) के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसरण में एतदद्वारा यह पुष्टि की जाती है कि :

(i) 31 मार्च, 2009 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय लेखाकरण के लागू मानकों का अनुसरण किया गया है।

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उनको लगातार लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए तथा अनुमान तैयार किए हैं जो उचित और विवेक सम्मत थे ताकि उनसे वित्तीय वर्ष के अंत में कॉरपोरेशन कार्यों की स्थिति का तथा समीक्षाधीन अवधि के लिए कॉरपोरेशन के लाभ एवं हानि का वास्तविक और सही चित्र प्रस्तुत हो सके।

(iii) निदेशकों ने कॉरपोरेशन की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण के समुचित रिकार्ड रखने के संबंध में उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

(iv) निदेशकों ने 31 मार्च, 2009 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा 'चालू कंपनी' के आधार पर तैयार किए हैं।

16. निगमित शासन और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना।

कॉरपोरेशन ने कॉरपोरेट शासन की संकल्पना को अपनाया है और उसके सिद्धांतों पर बल दिया है। इसने निदेशक बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति पहले ही गठित/पुनर्गठित कर ली है। 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए एक कॉरपोरेट शासन रिपोर्ट अनुबंध– II पर दी गई है।

कॉरपोरेशन ने भारत सरकार रेल मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं और साथ–साथ उसके द्वारा वर्ष 2008–2009 के लिए वास्तविक व वित्तीय लक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हैं।

17. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

वर्ष के दौरान, कॉरपोरेशन ने बिहार के बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों की सहायता के लिए रेल मंत्री कल्याण एवं राहत निधि में 2 करोड़ रु. की राशि का अंशदान किया। उपर्युक्त के अतिरिक्त बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों के मध्य रेलनीर की 1 लाख बोतलें वितरित की गई।

18. लेखापरीक्षक :

वर्ष 2008–2009 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कॉरपोरेशन के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स एस.पी.मारवाह एण्ड कंपनी, चार्टर्ड अकाउन्टेंट, नई दिल्ली को नियुक्त किया गया था।

19. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ इस रिपोर्ट की भाग बनेंगी।

20. निदेशक बोर्ड :

इस समय, कॉरपोरेशन के बोर्ड में एक अंशकालिक अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, तीन कार्यकारी निदेशक, दो सरकार द्वारा मनोनीत सरकारी निदेशक और चार अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक हैं।

बोर्ड ने कार्य करने के लिए वर्ष के दौरान 4 (चार) बैठकें की और निम्नलिखित निदेशक रिपोर्ट की तारीख तक पद पर बने रहे :

श्री श्री प्रकाश, अध्यक्ष,

श्री राकेश कुमार टंडन, प्रबंध निदेशक,

श्री नलिन सिंघल, निदेशक (पर्यटन व विपणन),

श्री विनोद अस्थाना, निदेशक (खानपान सेवाएं),

श्री विश्व रंजन गुप्ता, निदेशक (वित्त),

श्री नरेश सलेचा,

श्री अशोक कुमार,

श्री जगदीप एस. छोकर,

श्री आलोक शिवपुरी,

श्री आर.एन.भारद्वाज,

श्री आर.के. अग्रवाल

श्री विनोद नारायण माथुर, कंपनी के अध्यक्ष ने रेल मंत्रालय की सेवाओं से अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने पर कंपनी का निदेशक पद छोड़ दिया।

श्री श्रीप्रकाश, सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड को 24.10.2008 से अंशकालिक अध्यक्ष/आईआरसीटीसी के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री राकेश कुमार टंडन को 05.01.2009 से प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री वी.आर.गुप्ता को 06.10.2008 से निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री जगदीप एस. छोकर और श्री आलोक शिवपुरी को 28.05.2008 से अंशकालिक स्वतंत्र गैर– सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री एस.बी.माथुर और श्री अरविन्द शर्मा ने स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने पर निगम के बोर्ड का निदेशक पद छोड़ दिया।

श्री आर.एन.भारद्वाज और श्री आर.के.अग्रवाल 22.01.2009 से अंशकालिक स्वतंत्र गैर–सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

बोर्ड ने नए निदेशकों का स्वागत किया और निवर्तमान अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दी गई सेवाओं और मार्ग दर्शन के लिए आभार व्यक्त किया।

21. लेखापरीक्षा समिति :

कॉरपोरेशन द्वारा निदेशक बोर्ड की एक लेखापरीक्षा समिति पहले गठित की गई। निदेशक बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने वर्ष के दौरान कार्य करने के लिए चार (4) बार बैठक की और लेखापरीक्षा समिति के निम्नलिखित सदस्य रिपोर्ट की तारीख तक पद पर बने रहे :–

श्री आर.एन.भारद्वाज
श्री जगदीप एस. छोकर
श्री आलोक शिवपुरी
श्री आर.के.अग्रवाल
श्री विनोद अस्थाना, निदेशक (खानपान सेवाएं)

श्री आर.एन.भाद्वाज, को लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है।

22. आभार एवं सराहना :

निदेशक बोर्ड वर्षभर मार्गदर्शन और लगातार सहायता के लिए रेल मंत्रालय को धन्यवाद देता है। निदेशक बोर्ड सम्माननीय ग्राहकों और लाइसेंसधारकों के प्रति भी अत्यधिक आभार प्रकट करता है। इनके अतिरिक्त निदेशक बोर्ड कॉरपोरेशन के समग्र विकास और उन्नति में कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता, लगन और निष्ठा के लिए उनकी प्रशंसा करता है।

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता. /-

स्थान : नई दिल्ली — **(श्री प्रकाश)**
दिनांक : 25 अगस्त, 2009 — **अध्यक्ष**

अनुबंध– I

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध

फार्म–क

ऊर्जा संरक्षण के संबंध में विवरण का प्रकटन

क. विद्युत और ईंधन खपत :

विवरण	2008–09	2007–08
1. बिजली		
क) खरीदी गई :		
यूनिटें ('000 केडब्ल्यूएच)	1819.23	2019.50
कुल राशि (लाख रु. में)	94.50	106.18
दर/यूनिट (रु. में)	5.19	5.26
ख) निजी उत्पादन :		
डीजल जनरेटर के माध्यम से–		
यूनिट ('000 केडब्ल्यूएच)	321	324
डीजल तेल की प्रति लीटर यूनिटें	3.16	3.39
लागत/यूनिट (रु.)	12.51	9.45
2. कोयला	शून्य	शून्य
3. फर्नेस ऑयल	शून्य	शून्य
4. नेचुरल गैस	शून्य	शून्य

ख. उत्पादन की प्रति यूनिट खपत :

विवरण	बिजली (केडब्ल्यूएच)/ प्रति बोतल)		फर्नेस ऑयल		नेचुरल गैस		कोयला	
	08–09	07–08	08–09	07–08	08–09	07–08	08–09	07–08
रेलनीर–पैक किया गया पीने का पानी	0.05	0.05	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

फार्म–ख

तकनीकी समावेशन के संबंध में विवरण का प्रकटीकरण

अनुसंधान और विकास

1. **विशिष्ट क्षेत्र जिसमें अनुसंधान और विकास कंपनी द्वारा किया जाता है :**
   शून्य
2. **उपर्युक्त अनुसंधान और विकास के परिणामस्वरूप लाभ प्राप्त किया :**
   लागू नहीं
3. **भविष्य की कार्य योजना :**
   शून्य
4. **वर्ष के दौरान अनुसंधान और विकास पर व्यय निम्नलिखितानुसार है :**

(लाख रु. में)

क्रम सं.	विवरण	2008–2009	2007–2008
क.	पूंजी	शून्य	शून्य
ख.	आवर्ती	शून्य	शून्य
	जोड़	शून्य	शून्य
	कुल कारोबार की प्रतिशतता (%) के रूप में कुल अनुसंधान और विकास खर्च का जोड़	लागू नहीं	लागू नहीं

5. **प्रौद्योगिकी का समावेशन, अनुकूलन और परिवर्तन :**

आयातित प्रौद्योगिकी :

प्रौद्योगिकी	आयात का वर्ष	समावेशन की स्थिति
	शून्य	

6. **विदेशी मुद्रा का अर्जन और व्यय :**

(लाख रु. में)

विवरण	2008–09	2007–08
विदेशी मुद्रा का अर्जन	3084.93	1430.41
विदेशी मुद्रा का व्यय		
विदेशी यात्रा व्यय	28.25	11.82

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता. /-

(श्री प्रकाश)

अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 25 अगस्त, 2009

कॉरपोरेट शासन की रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध–II

1. कंपनी का दर्शन

कॉरपोरेट शासन के संबंध में कंपनी का उद्‌देश्य पारदर्शिता, प्रकटन और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करके अंत में शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाना है, जिससे न केवल सांविधिक विनियमों का अनुपालन करना है, बल्कि संपूर्ण संगठन के नैतिक आचरण को भी बढ़ाना है।

2. निदेशक बोर्ड

31 मार्च, 2009 को निदेशक बोर्ड में एक अंशकालिक अध्यक्ष, एक प्रबंध निदेशक, तीन कार्यरत निदेशक और दो सरकार द्वारा मनोनीत सरकारी निदेशक तथा चार अंशकालिक स्वतंत्र गैर–सरकारी निदेशक हैं।

श्री श्रीप्रकाश, सदस्य यातायात, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड श्री वी.एन.माथुर जिन्होंने अधिवर्षिता प्राप्त करने के परिणामस्वरूप, निगम का अंशकालिक अध्यक्ष पद छोड़ दिया, के स्थान में 24.10.2008 से आईआरसीटीसी के अध्यक्ष बने।

कॉरपोरेशन में निदेशक की नियुक्ति इसके अंतर्नियमों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित की जाती है। वर्ष के दौरान, श्री राकेश कुमार टंडन ने 5 जनवरी, 2009 (पूर्वाह्न) को आईआरसीटीसी के प्रबंध निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया।

इसके अतिरिक्त श्री वी.आर.गुप्ता ने 06.अक्तूबर, 2008 (पूर्वाह्न) को आईआरसीटीसी के निदेशक (वित्त) का कार्यभार ग्रहण किया।

श्री आलोक शिवपुरी और श्री जगदीप एस.छोकर रेल मंत्रालय के दिनांक 28 मई, 2008 के पत्र सं. 2004/पीएल/49/2 के अनुसार 28.05.2008 से अंशकालिक स्वतंत्र गैर–सरकारी निदेशक नियुक्त किए गए।

श्री एस.बी.माथुर और श्री अरविंद शर्मा ने अपना कार्यकाल समाप्त होने के परिणामस्वरूप 29.11.2008 से अंशकालिक स्वंतत्र गैर–सरकारी निदेशक का पद छोड़ दिया।

श्री आर.के.अग्रवाल और श्री आर.के.भारद्वाज रेल मंत्रालय के 22.01.2009 के पत्र सं. 2004/पीएल/49/1 के अनुसार 22.01.2009 से अंशकालिक स्वंतत्र गैर–सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए।

क्र. सं.	निदेशकों की श्रेणी	निदेशक का नाम	बोर्ड बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे	अंतिम वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थिति
(i)	**अंशकालिक गैर–कार्यपालक अध्यक्ष**			
1.	सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड	श्री वी. एन. माथुर (30.09.2008)	2	हाँ
		श्री श्रीप्रकाश (24.10.2008 से अब तक)	2	लागू नहीं
(ii)	**प्रबंध निदेशक**			
2.	प्रबंध निदेशक	श्री राकेश कुमार टंडन (05.01.2009 को कार्यभार संभाला)	1	लागू नहीं

क्र. सं.	निदेशकों की श्रेणी	निदेशक का नाम	बोर्ड बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे	अंतिम वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थिति
(iii)	**कार्यरत निदेशक**			
3.	निदेशक (टीएण्डएम)	डॉ. नलिन सिंघल	4	हां
4.	निदेशक (सीएस)	श्री विनोद अस्थाना	4	हां
5.	निदेशक (वित्त)	श्री विश्व रंजन गुप्ता (06.10.2008 को कार्यभार संभाला)	2	लागू नहीं
(iv)	**रेल मंत्रालय द्वारा मनोनीत सरकारी निदेशक**			
6.	निदेशक	श्री नरेश सलेचा	4	हाँ
7.	निदेशक	श्री अशोक कुमार	4	हाँ
(v)	**स्वतंत्र अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक**			
8.	निदेशक	श्री एस.बी.माथुर (29.11.2008 को पद छोड़ दिया)	1	हाँ
9.	निदेशक	श्री अरविन्द शर्मा 29.11.2008 को पद छोड़ दिया)	2	नहीं
10.	निदेशक	श्री आलोक शिवपुरी	2	हाँ
		(28.05.2008 को नियुक्त हुए)		
11.	निदेशक	श्री जगदीप सिंह छोकर (28.05.2008 को नियुक्त हुए)	3	हाँ
12.	निदेशक	श्री आर. एन. भारद्वाज (22.01.2009 को नियुक्त हुए)	1	लागू नहीं
13.	निदेशक	श्री आर. के. अग्रवाल (22.01.2009 को नियुक्त हुए)	1	लागू नहीं

टिप्पणियां :

1. 'अंशकालिक सरकारी' शब्द सरकार (रेल मंत्रालय) द्वारा आईआरसीटीसी के बोर्ड के उन मनोनीत निदेशकों को सूचित करता है जो रेल मंत्रालय के पदाधिकारी हैं।
2. 'अंशकालिक गैर–सरकारी' शब्द उन निदेशकों को सूचित करता है जो स्वतंत्र है और सरकार में कोई पद धारण नहीं करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2008–2009 के दौरान, निदेशक बोर्ड जून, 2008, सितंबर, 2008, दिसंबर, 2008 और मार्च, 2009 को समाप्त प्रत्येक तिमाही में एक बैठक करके कार्यसम्पादन करने के लिए 4 बार मिला। निदेशक बोर्ड की सभी बैठकें कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की गई। निदेशक की अनुपस्थिति के सभी मामलों में, अनुपस्थिति की छूट्टी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 283 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अंतर्गत मंजूर की गई। आईआरसीटीसी के बोर्ड की बैठक की तारीखों का ब्योरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	बोर्ड बैठक	बैठक की तारीख
1.	38वी	23.05.2008
2.	39वी	14.08.2008
3.	40वीं	28.11.2008
4.	41वीं	30.03.2009

3. लेखापरीक्षा समिति

आईआरसीटीसी दृढ़तापूर्वक विश्वास करती है कि नैतिकता किसी कारोबार का नींव का पत्थर है और लम्बी अवधि के कॉरपोरेट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तथा मूल्य वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस दृष्टि से, कंपनी के पास निदेशक बोर्ड की ऐसी योग्य एवं स्वतंत्र लेखापरीक्षा समिति है जिसमें वित्त तथा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त सभी गैर–कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। समिति ने कुशलतापूर्वक कार्यनिष्पादन करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।

रिपोर्ट की तारीख को लेखापरीक्षा समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :–

1. श्री विनोद अस्थाना, निदेशक, (खानपान सेवाएं)
2. श्री जगदीप एस. छोकर, निदेशक
3. श्री आलोक शिवपुरी, निदेशक
4. श्री आर.एन.भारद्वाज, निदेशक
5. श्री आर.के.अग्रवाल, निदेशक

श्री आर.एन. भारद्वाज समिति के अध्यक्ष हैं।

श्री राकेश गोगिया, कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

समिति लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित कॉरपोरेट शासन के दिशा–निर्देशों और कंपनी अधिनियमों के अधीन संदर्भ की शर्तों के अनुसार कार्य करती है। समिति का कार्यक्षेत्र निम्नलिखित है :–

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करना और बोर्ड को सिफारिश करना ;
- आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति;
- बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों पर विचार करना;
- लेखाकरण नीतियों और पद्धतियों में उनके कारणों सहित परिवर्तनों पर विचार करना;
- ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट आदि में शर्तों के बारे में विचार–विमर्श करना;
- आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की पर्याप्तता के बारे में समीक्षा करना;

समिति ने वित्तीय वर्ष 2008–2009 के दौरान 28.05.2008, 07.08.2008, 27.11.2008 और 23.03.2009 को चार बार बैठकें की :

सदस्य	पद	आयोजित बैठकें	बैंठकों में उपस्थिति
श्री एस.बी.माथुर (29.11.2008 को निदेशक का पद छोड़ दिया)	अध्यक्ष	4	3
श्री आर.एन.भारद्वाज (22.01.2009 को अंशकालिक स्वतंत्र गैर–सरकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला)			1

सदस्य	पद	आयोजित बैठकें	बैंठकों में उपस्थिति
श्री विनोद अस्थाना (14.08.2008 को आयोजित निदेशक बोर्ड की 39वीं बैठक द्वारा पास किए गए संकल्प के अनुसार समिति के सदस्य बने)	सदस्य	4	3
श्री अरविंद शर्मा (29.11.2008 को निदेशक का पद छोड़ दिया)	सदस्य	4	2
श्री जगदीप एस. छोकर (14.08.2008 को आयोजित निदेशक बोर्ड की 39वीं बैठक द्वारा पास किए गए संकल्प के अनुसार समिति के सदस्य बने)	सदस्य	4	3
श्री आलोक शिवपुरी (14.08.2008 को आयोजित निदेशक बोर्ड की 39वीं बैठक द्वारा पास किए गए संकल्प के अनुसार समिति के सदस्य बने)	सदस्य	4	3
श्री आर.के.अग्रवाल 22.01.2009 को निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला)	सदस्य	4	1

4. निदेशकों का पारिश्रमिक

आईआरसीटीसी, कंपनी अधिनियम के अधीन सरकार की पूर्णतः स्वामित्व वाली कंपनी होने पर, कंपनी के कार्यरत निदेशक रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इस प्रकार नियुक्त कार्यरत निदेशक वेतनमान के औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) पैटर्न के अंतर्गत और समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं।

कंपनी के अंशकालिक सरकारी (सरकार द्वारा मनोनीत) बोर्ड निदेशक कंपनी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करते हैं।

अशंकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) कंपनी के बोर्ड निदेशकों को उनके द्वारा प्रत्येक बैठक में आने पर 5000/–रु. की बैठक (सिटिंग) फीस का भुगतान किया जाता है।

5. प्रकटन

i. सामान्यतः कंपनी के साथ संभावित लाभ रखने वाला कोई आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पार्टी से संबंधित लेनदेन नहीं हुआ है।

ii. पिछले तीन वर्षों के दौरान, लागू कानूनों के अंतर्गत पालन न होने के कारण किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर कोई पैनल्टी नहीं लगाई गई है।

iii. कंपनी ने लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट शासन पर दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने के लिए पूरी तरह से पहल की है। दिशा–निर्देशों के अनुसार, आईआरसीटीसी ने अपने बोर्ड सदस्यों और

वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए कारोबार आचरण एवं नीति संहिता विकसित की तथा वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए निदेशक रिपोर्ट में कॉरपोरेट शासन एवं प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट भी शामिल की है।

iv. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2008–2009 के दौरान कोई राष्ट्रपति निदेश प्राप्त नहीं किए हैं।

v. आईआरसीटीसी के बही खातों में नामे डाली गई खर्च की सभी मदें आईआरसीटीसी को सौंपे गए कारोबार के प्रयोजन के लिए है और कारोबार से सबंधित है।

vi. निदेशक बोर्ड के लिए किए गया कोई व्यक्तिगत खर्च नहीं है, सिवाए जो संविदागत बाध्यताओं के रूप में नियुक्ति की शर्तों के अनुसार हैं।

6. संचार व्यवस्था के साधन

लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणाम और वार्षिक रिपोर्ट आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctc.com पर प्रदर्शित किए जाते हैं। विभिन्न विभागों की निविदाएं, अन्य सरकारी प्रेस रिलीज के साथ आईआरसीटीसी की वित्तीय योजना और वास्तविक रूप से दी गई निविदाओं/संविदाओं का ब्योरा भी आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। खानपान सेवाएं, रेल टिकटिंग सेवाएं आदि जैसी अग्रणी सेवाप्रदात्ता के रूप में भूमिका निभाने के अनुसार, आईआरसीटीसी ने कॉरपोरेट संचार व्यवस्था को सुधारने के लिए कदम उठाए। वेबसाइट को पूर्णतः पुनः तैयार कर दिया गया है और हिंदी रूपांतर भी जोड़ दिया गया है।

7. बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

आईआरसीटीसी, कॉरपोरेट शासन के सिद्धातों के अनुसार आईआरसीटीसी के कारोबार मॉडल, जोखिम प्रोफाइल तथा अत्यधिक उचित उपायों, जिनमें वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हैं, के बारे में बोर्ड सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए पहल करती है। व्यवहार के तौर पर बोर्ड में नए निदेशक का कार्यभार संभालने पर कंपनी से संबंधित दस्तावेज उन्हें प्रदान किए जाते हैं, जिनमें वार्षिक रिपोर्ट, ज्ञापन एवं अंतर्नियम, आईआरसीटीसी और रेल मंत्रालय के बीच हुए सझौता ज्ञापन शामिल हैं। कंपनी ने अपने बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए उनके कतव्यों को प्रतिबिंबित करते हुए कारोबार आचारण एवं नीति–संहिता भी बनाई है।

8. विसिल ब्लावर पॉलिसी

इस समय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार अपने सभी कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए कंपनी में एक तंत्र की स्थापना की गई है ताकि मुख्य सतर्कता अधिकारी अथवा प्रबंध निदेशक को सीधे किसी अनैतिक कार्य के बारे में वास्तविक में अथवा संदेहास्पद छलकपट के बारे में रिपोर्ट कर सकें।

9. कारोबार आचार एवं नीति–संहिता

आईआरसीटीसी के बोर्ड निदेशक के अनुमोदन के बाद, लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आईआरसीटीसी की मूल उपयोगिता के साथ अपनी कारोबार आचार एवं नीति–संहिता निर्धारित की है।

वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर की गई है।

एस.पी.मारवाह एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स
प्रधान कार्यालय : 8–ए/4 पश्चिमी विस्तार क्षेत्र, करोलबाग,
नई दिल्ली–110005 फोन : 25746813, 9313702220
ई–मेलः mljotwani@gmail.com, mljotwani@hotmail.com

लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट

सदस्य,
इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड.

1. हमने इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेषन लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2009 के संलग्न तुलन–पत्र और उसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि–लेखा और उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कैष फ्लो विवरण को लेखापरीक्षा की है, जिसमें कॉरपोरेट आफिस, इंटरनेट टिकटिंग कार्यालय और मुम्बई, नई दिल्ली, चेन्नै, सिकंदराबाद व कोलकाता स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों, और नांगलोई (दिल्ली) और दानापुर (बिहार) स्थित रेलनीर संयंत्रों के लेखा शामिल किए गए हैं जिनकी हमने लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधतंत्र का है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा–परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के बारे में राय अभिव्यक्त करना है।

2. हमने अपनी लेखा–परीक्षा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और उसका निष्पादन इस प्रकार करें कि उससे इस बारे में उचित आश्वासन मिल सके कि वित्तीय विवरणों में कोई तथ्यपरक गलत बयानी नहीं है। लेखापरीक्षा में नमूना परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरणों और राशियों से संबंधित साक्ष्यों की जाँच की जाती है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाए गए लेखाकरण सिद्धांतों और लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण करना और साथ ही वित्तीय विवरणों के समग्र रूप से प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप–धारा (4क) के अनुसार हम भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षा की रिपोर्ट) आदेश, 2003 द्वारा यथा अपेक्षित, अनुलग्नक में उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में यथालागू एक विवरण संलग्न करते हैं।

4. उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित अनुबंध में दी गयी अपनी टिप्पणियों के अतिरिक्त, हम यह स्पष्ट करते हैं किः–
   (i) हमने वे सभी जानकारियाँ और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं।
   (ii) हमारी राय में, जहां तक खाता बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, कंपनी ने विधि द्वारा यथा अपेक्षित उचित खाता बहियाँ रखी हैं।
   (iii) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि लेखे और कैश फ्लो खाता बहियों से मेल खाते हैं।
   (iv) रेलवे लेखाकरण की कैश विधि अपना रही है जबकि आईआरसीटीसी लेखाकरण की मर्केन्टाइल विधि अपना रही है। अंतर यदि कोई हो, तो उसे पर्याप्त अंतर के बाद पता लगाया जा सकता है। हम पाते है कि कुछ जोन जो विभिन्न लेखाओं जैसे प्रदान की गई खानपान सेवाएं/प्रदत्त/देय रेलवे शेयर

संबंधित रेलों के साथ लाइसेंस, का समाधान कर रहे हैं, रेलवे के साथ संमेकित लेखाओं का समाधान करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

(v) कंपनी ने सूचित किया है कि कंपनी कार्य विभाग द्वारा जारी दिनांक 21.10.2003 की अधिसूचना सं. जीएसआर 829 (ई) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (i) (छ) के प्रावधान सरकारी कंपनियों के लिए लागू नहीं है।

(vi) हमारी राय में, इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और कैश फ्लो विवरण में कंपनी अधिनियम, 1956 को धारा 211 की उप–धारा 3 (ग) में उल्लिखित लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है।

(vii) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और कैश फ्लो विवरण, साथ में पठित उन पर दी गयी टिप्पणियाँ यथा अपेक्षित रूप में कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण के सिद्धांतों के अनुरूप निम्नलिखित मामलों में वास्तविक और सही चित्र प्रस्तुत करते हैं:

(क) 31 मार्च, 2009 को कंपनी के कार्यकलापों की दी गई स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र के मामले में,

(ख) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ का, लाभ एवं हानि लेखा के मामले में, और

(ग) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के कैश फ्लो का, कैश फ्लो विवरण के मामले में।

कृते एस.पी.मारवाह एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउन्टेंट

हस्ता. /-
(एम.एल.जोतवानी)
पार्टनर
सदस्यता सं. : 9604

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 26 अगस्त, 2009

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट अनुबंध

1. (क) कंपनी ने मात्रात्मक (क्वान्टिटेटिव) ब्यौरा और अचल परिसंपत्तियों के स्थान सहित पूरा विवरण दर्शाने वाला समुचित रिकार्ड रखा है। बहरहाल, कुछ मामलों में परिसंपतियों की संख्या नहीं दी गई है जिसे उचित नियंत्रण के लिए किया जाना चाहिए।

   (ख) कंपनी के आकार और अचल परिसंपत्तियों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा वर्ष में एक बार वास्तविक सत्यापन की यह एक प्रणाली है। बहरहाल, वास्तविक सत्यापन कई जोनों में नहीं किया गया है। प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से सत्यापित परिसंपत्तियों के संबंध में कोईं महत्वपूर्ण विसंगातियाँ नहीं पाई गई हैं।

   (ग) हम आगे यह सुझाव देते हैं कि प्रत्येक जोन को लेखा से एक व्यक्ति और प्रशासन विभाग से दूसरा व्यक्ति लेकर एक टीम बनाकर कम से कम वर्ष में एक बार अपनी परिसंपत्तियों का औचक सत्यापन अवश्य करना चाहिए और अपने अधिकार क्षेत्र में इन परिसंपत्तियों के अस्तित्व और कार्य स्थिति के बारे में पुष्टि करें ताकि परिसंपतियों की हानि के लिए हम उपयुक्त व्यवस्था कर सकें।

   (घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी अचल संपत्तियों के किसी महत्वपूर्ण भाग का निपटान नहीं किया है।

2. (क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन बनाए गए रजिस्टर में शामिल पार्टियों से वर्ष के दौरान कोई ऋण ग्रहण नहीं किया है।

   (ख) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन बनाए गए रजिस्टर में शामिल पार्टियों को वर्ष के दौरान कोई ऋण मंजूर नहीं किया है।

3. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, घटक, पैकिंग सामग्रियों, संयंत्र और मशीनरी, उपस्कर और अन्य परिसंपत्तियों सहित भण्डार, कच्चे माल की खरीद और सामान की बिक्री तथा सेवाओं के संबंध में कंपनी के आकार के अनुरूप और इसके कारोबार के स्वरूप आंतरिक नियंत्रण कार्यविधियाँ पर्याप्त हैं।

4. हमें बताए गए अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज किए जाने के लिए अपेक्षित, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत आने वाली पार्टियों से 5,00,000/–रु. से अधिक कोई लेन–देन नहीं था।

5. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क और 58कक के उपबंधों अथवा किसी अन्य संबंधित उपबंध और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन नियंत्रित पब्लिक निक्षेप स्वीकार नहीं किया है।

6. हमारी राय में कंपनी में आकार और उसके कारोबार के स्वरूप के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रणाली विद्यमान है। उन नियुक्त कर्मचारियों अर्थात् जो रेलों, बाह्य स्रोत से हैं, अस्थायी कर्मचारी हैं, और जो वाणिज्य लेखा में अच्छी तरह से कुशल नहीं हैं, की प्रकृति को बदलने की दृष्टि से आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को पुनः तैयार किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कई यूनिटें ऐसे दूर के क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता है, इस प्रकार त्रुटियों/छल–कपट की संभावना अधिक रहती

है। हमारी राय में, आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष कार्य क्षेत्र के संबंध में उचित दिशा–निर्देशों के साथ विभिन्न जोनल कार्यालयों में स्थित हों और बड़े राजस्व क्षेत्रों का कार्य प्रारंभ करने के लिए शामिल किया जाए। इससे त्रुटियों आदि होने की संभावना कम हो सकती है।

7. हमारी राय और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत सरकार ने लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति निर्धारित नहीं की है।

8. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी अविवादित सांविधिक राशि उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जिसमें भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, उत्पाद कर, उपकर, सेवा कर और अन्य लागू सांविधिक राशि शामिल हैं, जमा करने में नियमित है और 31 मार्च, 2009 को सांविधिक देयता की कोई अविवादित राशि, उसके देय होने की तारीख से छः महीने से अधिक की अवधि तक बकाया नहीं थी सिवाय कॉरपोरेशन के संबंध में वर्ष 2004–2005 के लिए 30.69 लाख रु. के आय कर और 2004–2005 के लिए बिक्रीकर के संबंध में 1.17 लाख रु. की मांग की गई, जिसके लिए अपील फाइल की गई है। कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246क (1)(क) के अंतर्गत एक अपील निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है।

9. कंपनी ने चालू वर्ष में और तत्काल पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में नकद राशि की हानि नहीं उठाई है तथा 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र में संचित नकदी की कोई हानि नहीं हुई है।

10. कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक अथवा डिबेंचर धारकों से कोई ऋण नहीं लिया है, इसलिए व्यक्तिक्रम (default) का प्रश्न नहीं उठता।

11. कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण तथा अग्रिम स्वीकार नहीं किया है।

12. चूंकि कंपनी चिट फंड, निधि, परस्पर लाभ निधि अथवा सोसाइटी नहीं है, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट आदेश, 2003) के खंड 4(xiii) का उपबंध कंपनी के लिए लागू नहीं है।

13. चूंकि कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निवेशों में लेन–देन अथवा व्यवसाय नहीं कर रही है, कंपनी (लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट आदेश, 2003) खंड 4(iv) का उपबंध कंपनी के लिए लागू नहीं है।

14. कंपनी ने अपने व्यावसायिकों और सहायकों की ओर से गारंटियाँ नहीं दी हैं।

15. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई आवधिक ऋण नहीं लिया है।

16. दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने लम्बी अवधि के इस्तेमाल के लिए कोई कम अवधि का ऋण नहीं लिया है।

17. कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमानी आबंटन नहीं किया है।

18. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

19. कंपनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यू के जरिए कोई धन राशि प्राप्त नहीं की है।

20. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कॉरपोरेशन की वेबसाइट के जरिए पार्टियों द्वारा बुक किए गए रेलवे टिकटों के कारण वर्ष के दौरान कॉरपोरेशन पर धोखाधड़ी के कई मामलों का पता चला है। ऐसे मामलों में सम्बद्ध धनराशि 4.04 लाख रु. थी, जिसको वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा के अंतर्गत कॉरपोरेशन के खातों में अशोध्य ऋण और अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के रूप में दिया गया है। चूककर्त्ताओं के विरुद्ध कॉरपोरेशन द्वारा आपराधिक मामले शुरू किए गए हैं। वर्ष के दौरान धोखाधड़ी के कोई अन्य मामले नोटिस में नहीं आए हैं।

कृते एस.पी.मारवाह एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउन्टेंट

हस्ता. /-
(एम.एल.जोतवानी)
पार्टनर
सदस्यता सं. : 9604

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 26 अगस्त, 2009

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(लाख रु. में)

	अनुसूची	31 मार्च, 2009 को राशि	31 मार्च, 2009 को राशि	31 मार्च, 2008 को राशि	31 मार्च, 2008 को राशि
निधियों के स्रोत					
शेयरधारकों की निधियाँ					
शेयर पूंजी	I		2,000.00		2,000.00
आरक्षित निधि और अधिशेष	II		9,445.81		5,884.92
आस्थगित कर देयता (शुद्ध) (अनुसूची XXV में टिप्पणी 21 देखें)			186.70		258.97
जोड़			11,632.51		8,143.89
निधियों का उपयोग					
अचल परिसम्पितित्तयाँ	III				
सकल ब्लाक		7,636.90		6,137.97	
घटाएँ : मूल्यह्रास		3,423.54		2,438.02	
शुद्ध ब्लाक		4,212.55		3,699.95	
जोड़ें : पूंजीगत चालू कार्य		995.84	5,208.39	90.58	3,790.53
निवेश	IV		250.20		0.20
चालू परिसम्पितियाँ, ऋण और अग्रिम					
निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज	V	0.12		0.10	
वस्तुसूचियाँ	VI	519.19		573.19	
फुटकर देनदारियाँ	VII	23,972.02		19,206.69	
नकद तथा बैंक शेष	VIII	13,732.94		11,677.32	
अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	IX	448.04		651.52	
ऋण व अग्रिम	X	13,348.30		8,554.20	
		52,020.61		40,663.02	
घटाएँ : चालू देयताएँ एवं प्रावधान	XI				
चालू देयताएँ		38,334.64		32,389.69	
प्रावधान		7,512.05		3,920.17	
		45,846.69		36,309.86	
शुद्ध चालू परिसम्पितियाँ			6,173.92		4,353.17
बट्टे खाते न डाले गए अथवा समायोजित न की गई सीमा तक विविध व्यय			-		-
जोड़			11,632.51		8,143.89
प्रमुख लेखाकरण संबंधी नीतियाँ और लेखा संबंधी टिप्पणियाँ	XXV				

I से XXV तक अनुसूचियाँ लेखाओं का अभिन्न भाग हैं

इसी तारीख की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.पी. मारवाह एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता. /-	हस्ता. /-	हस्ता. /-	हस्ता. /-
एम.एल. जोतवानी	**राकेश कुमार टंडन**	**वी. आर गुप्ता**	**राकेश गोगिया**
पार्टनर	**प्रबंध निदेशक**	**निदेशक (वित्त)**	**कंपनी सचिव**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 अगस्त, 2009

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

लाभ व हानि लेखा 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार

(लाख रु. में)

	अनुसूची	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए राशि	31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए राशि
आय			
बिक्री	XII	14,954.29	17,039.08
इंटरनेट टिकटिंग एवं कॉल सेन्टर से प्राप्त आय	XIII	7,480.56	3,918.32
लाइसेंसी खानपान सेवाओं से प्राप्त आय	XIV	34,102.21	28,920.30
पर्यटन से आय	XV	2,793.58	972.38
सावधि जमा और स्रोत पर कर की कटौती (सकल) पर ब्याज की आमदनी (स्रोत पर कर की कटौती 212.41 लाख रू. (पिछले वर्ष 159.41 लाख रू..)		1,159.93	1,060.48
अन्य आय	XVI	1,386.11	855.06
क		**61,876.68**	**52,766.39**
व्यय			
उपभोग की गई सामग्री	XVII	9,424.86	9,817.76
तैयार माल में (वृद्धि)/कमी	XVIII	4.85	39.00
लाइसेंसधारक खानपान सेवाओं का व्यय	XIX	23,000.65	19,957.25
पर्यटन का व्यय	XX	2,510.38	916.95
विनिर्माण एवं प्रत्यक्ष व्यय	XXI	2,484.47	2,687.39
मानव संसाधन लागत	XXII	12,117.96	11,513.36
प्रशासनिक, बिक्री एवं वितरण व्यय	XXIII	4,125.13	3,680.31
बट्टे खाते डाले गए विविध व्यय		-	-
मूल्यह्रास	III	1,010.36	828.16
ख		**54,678.66**	**49,440.18**
पिछले वर्षों से सम्बन्धित लाभ	XXIV	(186.58)	28.69
कर पूर्व लाभ (क–ख–ग)		**7,384.60**	**3,297.52**
घटाएं :			
आयकर के लिए प्रावधान		2,741.91	1,100.00
सीमांत (फ्रिन्ज) लाभ कर के लिए प्रावधान		64.85	50.00
आस्थगित कर (अनुसूची XXV में टिप्पणी 21 देखें)		(72.27)	72.61
कर पश्चात वर्ष में लाभ		**4,650.11**	**2,074.91**
अग्रानीत लाभ		893.22	903.84
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ		**5,543.33**	**2,978.75**
विनियोजन			
लाभांश – अंतरिम		400.00	200.00
– अंतिम		531.00	215.00
लाभांश पर कर		158.22	70.53
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण		3,500.00	1,600.00
आरक्षित निधि और अधिशेष के लिए लाभ (तुलन–पत्र)		**954.11**	**893.22**
प्रतिशेयर आय (10/– रू. प्रतिशेयर का अंकित मूल्य)			
मूल (रु. में)		**23.25**	**10.37**
तनुकृत (रु. में)		**23.25**	**10.37**
प्रमुख लेखाकरण संबंधी नीतियाँ और लेखा से संबंधित टिप्पणियाँ	XXV		

I से XXV तक अनुसूचियाँ लेखा की आंतरिक भाग बनाती हैं।

इसी तारीख की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.पी. मारवाह एण्ड कम्पनी **निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से**
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स

हस्ता. /-	हस्ता. /-	हस्ता. /-	हस्ता. /-
एम.एल. जोतवानी	**राकेश कुमार टंडन**	**वी. आर गुप्ता**	**राकेश गोगिया**
पार्टनर	**प्रबंध निदेशक**	**निदेशक (वित्त)**	**कंपनी सचिव**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 अगस्त, 2009

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण

(लाख रु. में)

	2008-09		2007-2008	
क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह (कैश फ्लो)				
कर पूर्व शुद्ध लाभ और असाधारण मदें	7,384.60		3,297.52	
समायोजन				
मूल्यह्रास	1,010.36		828.16	
बेची गई परिसपत्ति पर हानि	8.75		-	
बट्टे खाते डाले गए विविध व्यय	-		-	
बेची गई परिसंपत्तियों पर लाभ	-		-	
ब्याज आय	(1,159.95)		(1,060.50)	
समायोजनों का जोड़	(140.84)		(232.34)	
चालू पूंजीगत परिवर्तनों से पहले परिचालन लाभ	7,243.76		3,065.18	
चालू पूंजीगत परिवर्तन				
वस्तु–सूचियों में कमी/(वृद्धि)	54.00		23.98	
ट्रेड एवं अन्य प्राप्य	(7,516.55)		(5,914.96)	
ट्रेड देय एवं प्रावधान	6,182.84		5,888.85	
परिचालन से अर्जित कैश	5,964.05		3,063.05	
विविध व्यय (आस्थगित राजस्व)	-		-	
पिछले वर्ष का आयकर	-		-	
प्रत्यक्ष कर प्रदत्त	(2,042.88)		(1,894.77)	
परिचालन कार्यकलापों से शुद्ध कैश		3,921.17		1,168.28
ख. निवेश वाले कार्यकलापों से कैश फ्लो				
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(2,272.37)		(1,909.28)	
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	12.93		-	
जेवी कम्पनी में निवेश	(250.00)			
प्राप्त ब्याज	1,363.41		472.37	
निवेश वाले कार्यकलापों में प्रयुक्त शुद्ध		(1,146.03)		(1,436.91)
ग. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह (कैश फ्लो)				
लाभांश प्रदत्त (लाभांश पर कर सहित)	(719.52)		(350.99)	
वित्तपोषण कार्यकलापों से शुद्ध कैश		(719.52)		(350.99)
कैश और कैश तुल्यों में शुद्ध परिवर्तन (क+ख+ग)		2,055.62		(619.62)
कैश और कैश तुल्यों का प्रारंभिक शेष		11,677.32		12,296.94
कैश और कैश तुल्यों का अंतशेष (कैश और बैंक शेषों द्वारा प्रस्तुत)		13,732.94		11,677.32

टिप्पणियां :

1. कैश एवं कैश तुल्यों में हस्तगत कैश और बैंकों आदि में शेष शामिल होता है और इसमें 21.06 लाख रु. शामिल हैं जो कंपनी द्वारा प्रयोग के लिए उपलब्ध नहीं है।
2. कोष्ठक में आंकडे कैश आउटफ्लो सूचित करते हैं।
3. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी टिप्पणियां (अनुसूची XXV) कैश फ्लो विवरण का अनिवार्य अंग बनती हैं।
4. पिछले वर्षों के आंकड़ों को, जहां कही आवश्यक है, चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए पुनर्व्यवस्थित/पुनर्समूहित किया गया है।

कृते एस.पी. मारवाह एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता. /-	हस्ता. /-	हस्ता. /-	हस्ता. /-
एम.एल. जोतवानी	**राकेश कुमार टंडन**	**वी. आर गुप्ता**	**राकेश गोगिया**
पार्टनर	**प्रबंध निदेशक**	**निदेशक (वित्त)**	**कंपनी सचिव**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 अगस्त, 2009

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

तुलन–पत्र के साथ संलग्न अनुसूचियाँ, जो उसका भाग हैं

(लाख रु. में)

	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए राशि	31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए राशि
अनुसूची– I		
शेयर पूंजी		
अधिकृत पूंजी		
प्रत्येक 10 रुपये मूल्य के 5,00,00,000 इक्विटी शेयर	5,000.00	5,000.00
(पिछले वर्ष प्रत्येक 10 रुपये मूल्य के 5,00,00,000 इक्विटी शेयर)		
जारी अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी		
प्रत्येक 10 रुपये मूल्य के पूर्णतः प्रदत्त 20,000,000 इक्विटी शेयर	2,000.00	2,000.00
(पिछले वर्ष 10 रुपये मूल्य के पूर्णतः प्रदत्त 20,000,000 इक्विटी शेयर)	**2,000.00**	**2,000.00**
अनुसूची– II		
आरक्षित निधि एवं अधिशेष		
क. सामान्य आरक्षित निधि		
प्रारंभिक शेष	4,991.70	3,391.70
जोड़ें : लाभ एवं हानि लेखा से अंतरित	3,500.00	1,600.00
	8,491.70	**4,991.70**
ख. लाभ एवं हानि खाता		
प्रारंभिक शेष	893.22	903.04
जोड़ें : लाभ एवं हानि लेखा से अंतरित	60.89	(10.62)
	954.11	**893.22**
आरक्षित निधि एवं अधिशेष (क + ख)	**9,445.81**	**5,884.92**

अनुसूची– III

(i) अचल परिसंपत्तियाँ

(लाख रु. में)

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लाक	
	1 अप्रैल, 2008 को मूल लागत	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कमी/बिक्री	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार लागत	1 अप्रैल, 2008 तक	2008–2009 वर्ष में	कमियों/बिक्री पर मूल्यह्रास	31 मार्च, 2009 तक	31 मार्च, 2009 को	31 मार्च, 2008 को
पट्टे पर भूमि*	61.28	–	–	61.28	–	–	–	–	61.28	61.28
पट्टे पर–कार्यालय विकास	493.31	75.11	-	568.42	58.90	140.38	-	199.28	369.14	434.41
भवन–फैक्टरी–पट्टे पर	321.16	32.84	-	354.00	47.44	10.73	-	58.17	295.83	273.72
भवन–कार्यालय– पट्टे पर	69.77	-	-	69.77	5.05	1.14	-	6.19	63.58	64.72
संयंत्र एवं मशीनरी	932.78	388.42	-	1,321.20	338.81	86.89	-	425.70	895.50	593.97
औजार एवं संयंत्र	1.91	-	1.03	0.88	-	-	-	-	0.88	1.91
कम्प्यूटर	2,411.49	340.08	26.31	2,725.26	1,308.10	489.65	18.08	1,779.67	945.59	1,103.39
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	464.75	47.27	3.43	508.59	193.75	60.51	1.12	253.14	255.45	271.00
कार्यालय उपकरण	513.65	168.88	15.34	667.19	161.19	86.42	5.59	242.02	425.17	352.46
वातानुकूलक	188.97	10.50	0.42	199.05	40.97	21.77	0.06	62.68	136.37	148.00
पट्टे पर–आवासीय फ्लेट	-	248.50		248.50	-	2.50		2.50	246.00	-
अप्रत्यक्ष संपत्ति	678.90	233.05		911.95	283.82	110.37		394.19	517.76	395.08
जोड़	**6,137.97**	**1,544.65**	**46.53**	**7,636.09**	**2,438.03**	**1,010.36**	**24.85**	**3,423.54**	**4,212.55**	**3,699.95**
पिछले वर्ष	**4,161.43**	**1,976.54**	**-**	**6,137.97**	**1,609.86**	**828.16**	**-**	**2,438.02**	**3,699.95**	**2,551.57**

(ii) पूंजीगत चालू कार्य

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2009 को	31 मार्च, 2008 को
बजट होटल परियोजना	25.77	25.77
इंटरनेट टिकटिंग कार्यालय	–	33.50
रेलनीर संयंत्र–नांगलोई	–	2.19
रेलनीर संयंत्र–चैन्ने	183.58	29.13
रेलनीर – पश्चिम जोन	7.49	-
कॉरपोरेट कार्यालय	779.00	-
जोड़ (ii)	**995.84**	**90.58**
पिछले वर्ष	**90.58**	**162.67**
अचल परिसंपत्तियों का जोड़ (i) + (ii)	**5,208.39**	**3,790.53**

टिप्पणी : *आईआरसीटीसी ने 99 वर्ष की अवधि के लिए भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के निकट बजट होटल स्थापित करने के लिए उड़ीसा सरकार से पट्टे पर भूमि प्राप्त की है।

तुलन–पत्र के साथ संलग्न अनुसूचियाँ, जो उसका भाग हैं

(लाख रु. में)

		31 मार्च, 2009 को राशि		31 मार्च, 2008 को राशि
अनुसूची— IV				
निवेश				
लम्बी अवधि के निवेश				
संयुक्त उद्यम इक्विटी में निवेश (25,00,000 शेयरों का मूल्य 10/–रू. प्रति शेयर)		250.00		-
रॉयल इंडियन रेल टुअर लिमिटेड				
नॉन ट्रेड, एट कॉस्ट				
राष्ट्रीय बचत पत्र–VIII वाँ इश्यू 6 वर्षीय		0.20		0.20
(प्रतिभूति के रूप में बिक्री कर कार्यालय के पास गिरवी रखा गया)		**250.20**		**0.20**
चालू परिसम्पत्तियाँ ऋण एवं अग्रिम				
अनुसूची— V				
निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज				
ब्याज प्रोद्भूत परन्तु राष्ट्रीय बचत पत्रों पर प्राप्य नहीं		0.12		0.10
		0.12		**0.10**
अनुसूची— VI				
वस्तुसूचियाँ				
(प्रबंधन द्वारा लिए गए, मूल्यांकित और प्रमाणित किए गए के रूप में)				
कच्चा माल		120.78		169.93
तैयार माल		241.65		217.22
ट्रेडिंग माल–पीडी मदें		156.76		186.04
		519.19		**573.19**
अनुसूची - VII				
फुटकर देनदार				
(प्रबंधन द्वारा वसूली के लिए शोध्य माना गया)				
- छः महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण				
शोध्य माना गया	14,975.11		10,039.83	
संदिग्ध माना गया	1.20		7.90	
(क)	14,976.11		10,047.73	
- अन्य ऋण				
शोध्य माना गया	8,998.91		9,166.86	
संदिग्ध माना गया	-		-	
(ख)	8,998.91		9,166.86	
जोड़ (क+ख)	23,973.22		19,214.59	
घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	1.20	23,972.02	7.90	19,206.69
		23,972,02		**19,206.69**
अनुसूची - VIII				
नकद एवं बैंक शेष				
(i) हस्तगत रोकड़		144.37		124.68
(ii) पारगमन में प्रेषण		7.00		37.97
(iii) चालू खाते में अनुसूचित बैंको में शेष		1,948.31		2,749.61
(iv) आवाधिक एवं सावधि जमा में अनुसूचित बैंको में शेष		11,633.26		8,765.06
(बैंक गारंटी के संबंध में न्यूनतम राशि के रूप में 21,06 लाख रू. रखे गए है, पिछले वर्ष 6,98 लाख रु.)		**13,732.94**		**11,677.32**
अनुसूची - IX				
अन्य चालू परिसम्पतियाँ				
ब्याज प्रोद्भूत परंतु अनुसूचित बैंकों में आवधिक एवं		448.04		651.52
मियादी जमा पर प्राप्त नहीं		**448.04**		**651.52**

तुलन–पत्र के साथ संलग्न अनुसूचियाँ, जो उसका भाग हैं

(लाख रु. में)

		31 मार्च, 2009 को राशि		31 मार्च, 2008 को राशि
अनुसूची— X				
ऋण एवं अग्रिम				
(प्रबंधन द्वारा वसूली के लिए अप्रतिभूत शोध्य माना गया)				
नकद अथवा किस्म के रूप में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए वसूलनीय अग्रिम				
शोध्य माना गया	1,199.04		1,803.71	
संदिग्ध माना गया	-		-	
	1,199.04	1,199.04	1,803.71	1,803.71
फ्लैटों के निर्माण के लिए भारतीय रेल को		678.33		574.69
पूंजी अग्रिम व भूमि प्रतिभूति एवं अन्य निक्षेप :				
– सरकार /सांविधिक निकायों के पास	4,682.14		1,463.79	
– अन्य के पास	19.45	4, 701.59	5.45	1,469.24
स्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम कर		6,470.51		4,508.56
अग्रिम फ्रिंज लाभ कर		143.01		62.07
पूर्व प्रदत्त व्यय		155.82		135.93
		13,384.30		**8,554.20**
अनुसूची-XI				
चालू देयताएँ और प्रावधान				
क. चालू देयताएँ				
(i) फुटकर लेनदार				
माल के लिए	3,239.79		2,995.40	
व्यय के लिए	6,685.59		6,782.41	
(एसएसआई को देय राशि– कुछ नहीं)				
(ii) सप्लायरों और लाइसेंसधारकों से निक्षेप				
प्रतिभूति निक्षेप	4,909.82		4,411.22	
अग्रिम धन जमा	2,466.75		1,666.82	
(iii) असमाप्त कन्शेसन फीस, लाइसेंस फीस एवं उपयोगकर्त्ता प्रभार				
असमाप्त कन्सेशन फीस	4,515.74		7,144.11	
असमाप्त लाइसेंस फीस	5,592.98		3,865.44	
असमाप्त उपयोगकर्त्ता प्रभार	22.62		19.18	
(iv) ग्राहकों से अग्रिम प्राप्त	848.68		200.03	
(v) अन्य चालू देयताएँ				
अन्य देयताएँ	9,805.28		5,003.05	
भुगतान करने योग्य कर	247.39	38,334.64	302.03	32,389.69
ख. प्रावधान				
प्रस्तावित लाभांश	531.00		215.00	
लाभांश कर के लिए प्रावधान	90.24		36.54	
आयकर के लिए प्रावधान	6,271.79		3,529.88	
फ्रिंज लाभ कर के लिए प्रावधान	142.57		77.72	
सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान	476.45	7,512.05	61.03	3,920.17
जोड (क+ख)		**45,846.69**		**36,309.86**

तुलन–पत्र के साथ संलग्न अनुसूचियाँ, जो उसका भाग हैं

(लाख रु. में)

		31 मार्च, 2009 को राशि		31 मार्च, 2008 को राशि
आय				
अनुसूची— XII				
बिक्री				
1) रेलनीर (पैक किया गया पीने का पानी)				
बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित परंतु बिक्री कर रहित सकल)	1,566.18		1,432.10	
घटाएं : उत्पाद शुल्क	287.71	1,278.47	332.41	1,099.69
2) विभागीय खानपान–				
खाद्य एवं पेय पदार्थो की बिक्री		13,558.09		14,342.80
बेड रोल एवं सफाई से आय		117.73		1,597.36
जोड़ (1 +2)		**14,954.29**		**17,039.85**
अनुसूची— XIII				
इंटरनेट टिकटिंग एवं कॉल सेन्टर से आय				
अर्जित सेवा प्रभार–भा.रे.टिकटें		7,430.56		3,893.32
लाइसेंस फीस–कॉल सेन्टर से आय		50.00		25.00
		7,480.56		**3, 918.32**
अनुसूची— XIV				
लाइसेंसधारक खानपान सेवाओं से आय				
क. खानपान एवं प्रदान की गई व्यापक सेवाओं से आय		13,899.55		11,483.85
ऑन बोर्ड खानपान सेवाओं – राजधानी एवं शताब्दी ट्रेनों से आय				
बेड रोल एवं सफाई सेवाओं से आय		2,405.68		2,613.45
		16,305.23		**14,097.30**
ख. कन्सेशन फीस, लाइसेंस फीस आदि से आय				
कन्सेशन फीस से आय		1,875.55		1,854.53
लाइसेंस फीस से आय		14,675.86		11,986.44
उपयोगकर्त्ता प्रभार–फूड प्लाजा से आय		394.87		340.81
लाइसेंस फीस– फूड प्लाजा से आय		850.70		641.22
		17,796.98		**14,823.00**
जोड़ (क +ख)		**34,102.21**		**28,920.30**
अनुसूची— XV				
पर्यटन से आय				
यात्रा व टुअर से आय		2,681.99		908.24
उपयोगकर्त्ता प्रभार – बजट होटल से आय		71.69		45.14
लाइसेंस फीस –बजट होटल से आय		39.90		19.00
		2,793.58		**972.38**
अनुसूची— XVI				
अन्य आय				
निवेशों पर ब्याज		0.02		0.02
अन्य ब्याज आय		15.15		48.30
विज्ञापन/भारतीय स्टेट बैंक कोब्रान्डेड कार्डों और लॉयल्टी कार्डों से आय		490.39		291.83
आईएटीए/आरटीएसए/इंटरनेट कैफे आदि की फीस से आय		288.00		144.90
वेंडिंग से आय		114.01		21.33
अधिक प्रावधान प्रतिलेखन		76.87		6.80
प्रत्यादेश प्रभार एवं जब्त की गई जमानत जमा		3.53		4.26
संविदाओं की जब्ती पर प्रोद्भूत आय		151.58		191.35
निविदा फार्मों की बिक्री		25.99		16.99
विविध आय		220.57		129.28
		1,386.11		**855.06**

तुलन–पत्र के साथ संलग्न अनुसूचियाँ, जो उसका भाग हैं

(लाख रु. में)

		31 मार्च, 2009 को राशि		31 मार्च, 2007 को राशि
व्यय				
अनुसूची– XVII				
उपभोग की गई सामग्री				
1) रेलनीर (पैक किया गया पीने का पानी)				
प्रारंभिक स्टाक	28.56		45.60	
जोड़ें : खरीद और व्यय	1,137.08		1,154.05	
	1,165.64		1,199.65	
घटाएं : अंतिम स्टाक	32.07	1,133.57	28.56	1,171.09
2) विभागीय खानपान				
क) उपभोग किया गया कच्चा माल				
प्रारंभिक स्टाक	141.38		109.30	
जोड़ें : खरीद	3,664.89		4,038.32	
	3,806.27		4,147.62	
घटाएं : अंतिम स्टाक	88.71	3,717.56	141.37	4,006.25
ख) पुनः बिक्री के लिए पीडी मदों की खरीद		4,573.73		4,640.42
जोड़ (1+2)		**9,424.86**		**9,817.76**
अनुसूची– XVIII				
(तैयार माल में वृद्धि / कमी)				
रेलनीर (पैक किया गया पीने का पानी)				
प्रारंभिक स्टाक				
कार्य प्रक्रिया में	–		–	
तैयार माल	216.37		218.94	
	216.37		218.94	
अंतिम स्टाक				
कार्य प्रक्रिया में	–		–	
तैयार माल	240.93	(24.56)	216.37	2.57
विभागीय खानपान				
प्रारंभिक स्टाक				
तैयार माल	0.86		0.15	
पीडी मदें	186.04		223.18	
	186.90		223.33	
अंतिम स्टाक				
तैयार माल	0.72		0.86	
पीडी मदें	156.77		186.04	
	157.49	29.41	186.90	36.43
		4.85		**39.00**
अनुसूची– XIX				
लाइसेंसधारक खानपान सेवाओं का व्यय				
क) केटरिंग एवं प्रदान की गई व्यापक सेवाओं का व्यय				
ऑन बोर्ड केटरिंग प्रभार–राजधानी व शताब्दी ट्रेनें		13,899.55		11,483.85
सेवा प्रभार – बेड रोल एवं सफाई सेवाएं		2,405.68		2,612.34
		16,305.23		**14,096.19**
ख) कन्सेशन फीस, लाइसेंस फीस, कर्षण आदि का व्यय				
कन्सेशन फीस		281.53		292.16
लाइसेंस फीस		2,913.44		2,175.06
उपयोगकर्त्ता प्रभार – फूड प्लाजा		157.95		136.38
लाइसेंस फीस –फूड प्लाजा		342.03		257.00
कर्षण प्रभार		3,000.00		3,000.00
लाइसेंस फीस प्रदत्त रेल भूमि–फूड प्लाजा		0.47		0.46
		6,695.42		**5,861.06**
जोड़ (क+ख)		**23,000.65**		**19,957.25**

तुलन–पत्र के साथ संलग्न अनुसूचियाँ, जो उसका भाग हैं

(लाख रु. में)

		31 मार्च, 2009 को राशि		31 मार्च, 2008 को राशि
अनुसूची– XX				
पर्यटन व्यय				
यात्रा व टुअर व्यय		2,418.11		900.77
लाइसेंस फीस–बजट होटल		9.97		4.75
उपयोगकर्त्ता प्रभार–बजट होटल		17.93		11.29
लाइसेंस फीस प्रदत्त रेलवे भूमि–बजट होटल		0.04		0.14
अनुरक्षण एवं अन्य प्रभार		64.33		–
		2,510.38		**916.95**
अनुसूची– XXI				
विनिर्माण और प्रत्यक्ष व्यय				
क. रेलनीर (पैक किया गया पीने का पानी)				
परिचालन एवं अनुरक्षण प्रभार		228.47		230.83
लाइसेंस फीस रेलवे भूमि		29.43		31.27
बिजली एवं ईंधन		134.65		136.79
मरम्मत एवं अनुरक्षण–संयंत्र एवं मशीनरी	7.19		4.69	
मरम्मत एवं अनुरक्षण–अन्य	3.24	10.43	5.66	10.35
अन्य प्रत्यक्ष व्यय		5.28		32.56
		408.26		**441.80**
ख. विभागीय खानपान				
पैकिंग सामग्री, पिसाई, मरम्मत एवं अन्य व्यय		2.88		9.12
मालभाड़ा आवक लदान और उतराई–केटरिंग		5.10		8.86
खाद्य निरीक्षण व्यय		2.64		10.18
ईंधन		760.60		621.47
बेड रोल एवं सफाई सेवाप्रभार		199.86		838.90
		971.08		**1,488.53**
ग. इंटरनेट टिकटिंग				
अनुरक्षण और अन्य प्रभार		662.36		534.28
लायल्टी कार्ड जारी व्यय		24.58		26.42
इंटरनेट उपयोग प्रभार		418.19		196.36
		1,105.13		**757.06**
जोड़ (क + ख+ ग)		**2,484.47**		**2,687.39**
अनुसूची–XXII				
मानव संसाधन लागत				
क. निदेशक				
निदेशकों का वेतन, भत्ते, निष्पादन अवार्ड, प्रोद्भूत छुट्टी और पेंशन के लिए प्रावधान		30.41		27.05
		30.41		**27.05**
ख. अन्य				
वेतन, भत्ते, निष्पादन अवार्ड, प्रतिपूर्ति बोनस और प्रोद्भूत छुट्टी वेतन के लिए प्रावधान				
– विभागीय केटरिंग कर्मचारी		8,257.51		8,393.78
– अन्य		1,805.00		1,704.26
भविष्य निधि, उपदान और पेंशन निधियों में अंशदान :				
– विभागीय केटरिंग कर्मचारी		970.38		633.74
– अन्य		88.00		39.61
मा.सं.वि. और प्रशिक्षण व्यय		35.75		18.11
भर्ती व्यय		5.30		9.36
कर्मचारी कल्याण व्यय		79.59		24.49
परामर्शदाताओं को भुगतान		193.57		157.35
जनशक्ति सहायता प्रभार		577.27		475.81
प्रशिक्षणार्थियों को वजीफे		75.18		29.80
		12,087.55		**11,486.31**
जोड़ (क + ख)		**12,117.96**		**11,513.36**

तुलन–पत्र के साथ संलग्न अनुसूचियाँ, जो उसका भाग हैं

(लाख रु. में)

		31 मार्च, 2009 को राशि		31 मार्च, 2007 को राशि
अनुसूची– XXIII				
प्रशासनिक, बिक्री एवं वितरण व्यय				
क. प्रशासनिक व्यय				
सुरक्षा प्रभार		58.54		51.03
स्थानीय वाहन प्रभार		202.76		156.10
यात्रा व्यय :				
निदेशक–स्वदेश	8.96		3.36	
अन्य–स्वदेश	280.95		221.71	
निदेशक–विदेश	2.20		-	
अन्य–विदेश	26.05	318.16	11.82	236.89
कार्यालय व मरम्मत व्यय		297.92		216.90
किराया दरें और कर :				
कार्यालय किराया		581.93		498.19
शुल्क, दरें एवं कर		25.17		4.17
बिजली और पानी प्रभार		104.05		183.26
बैंक प्रभार		32.01		24.60
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं		11.34		3.78
बीमा व्यय		27.27		14.70
डाक एवं कुरियर प्रभार		30.10		38.19
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		139.72		133.49
टेलीफोन व्यय		200.07		186.03
इंटरनेट एवं लीज्ड लाइन व्यय		2.18		16.39
विविध व्यय		31.80		29.27
चंदा एवं सदस्यता शुल्क		11.61		3.52
रेलमंत्री कल्याण एवं राहत निधि आदि के लिए दान		216.05		1.00
बैठक एवं सेमिनार व्यय		14.66		28.36
लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक		2.72		4.20
लेखापरीक्षा आउट ऑफ पॉकिट व्यय		4.07		3.91
प्रदत्त ब्याज–अन्य		9.69		0.51
कानूनी एवं व्यावसायिक व्यय		143.43		139.02
ईआरपी अनुरक्षण प्रभार		146.85		112.64
अचल परिसंपत्तियों के हटाने/ उनकी बिक्री पर हानि		8.75		–
		2,620.85		**2,086.15**
ख. बिक्री, वितरण संबंधी व्यय				
विज्ञापन व्यय		332.86		253.19
कारोबार विकास व्यय		128.26		61.30
वेंडरों को प्रदत्त कमीशन		445.58		510.53
ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण व्यय		40.00		45.63
मालभाड़ा, जावक और सीएफए प्रभार		315.01		374.36
डाक व्यय एवं कुरियर प्रभार		238.52		336.59
बट्टे खाते डाला गया अशोध्य ऋण		2.85		4.66
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		1.20		7.90
		1,504.28		**1,594.16**
	जोड़ (क + ख)	**4,125.13**		**3,680.31**
अनुसूची– XXIV				
पूर्व अवधि की आय/व्यय (शुद्ध) का समायोजन				
पूर्व अवधि आय		250.61		4.00
पूर्व अवधि व्यय		64.03		32.69
		(186.58)		**28.69**

अनुसूची – XXV

लेखाकरण संबंधी प्रमुख नीतियाँ

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आधार

वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण के सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए जाते हैं और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3ग) के अधीन भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट अनिवार्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।

लेखाकरण की विधि

कॉरपोरेशन, परंपरागत लागत कन्वेंशन के अंतर्गत आय के आधार पर और 1.11.2006 से उन अचल खानपान स्टालों के लाइसेंसधारकों जिनको ठेका रेलों द्वारा दिया गया था, से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आधार पर लाइसेंस फीस के सिवाय लेखाकरण का प्रोद्भवन आधार अपना रहा है।

अनुमानों का उपयोग

भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धातों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन को ऐसे अनुमान और कल्पनाएं करने की अपेक्षा की जाती है जो वित्तीय विवरण की तारीख को परिसंपत्तियों व देयतायों तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटनों की रिपोर्ट की गई रकम एवं रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रकम को प्रभावित करती है। उन अनुमानों से वास्तविक परिणाम में अंतर हो सका। ऐसे अनुमाानों में कोई संशोधन होता है तो उसकी पहचान उनके निर्धारण की अवधि में की जाती है।

राजस्व की पहचान

कॉरपोरेशन केटरिंग सर्विस (चल और अचल दोनों यूनिटों) के प्रबंध करने, चल यूनिटों में बेडरोल और सफाई सेवाएं, विभागीय केटरिंग यूनिटों के परिचालन करने, सरकारी निजी भागीदारी के आधार पर रेलयात्री निवास और रेलवे होटलों का प्रबंध संभालने, फूड प्लाजा के परिचालन, स्थायी खानपान स्टालों, एवीएमएस के लिए लाइसेंस देने, इंटरनेट के जरिए रेल टिकटों की बुकिंग करने, सरकारी निजी भागीदारी के आधार पर रेल संपर्क–139 कॉल सेन्टर का प्रबंध संभालने, विख्यात टुअर आपरेटरों के माध्यम से पैकेज टुअरों की व्यवस्था करने, संपूर्ण टुअर पैकेजों का प्रबंध संभालने, रेलनीर–पैक किए गए पीने के पानी के विनिर्माण एवं वितरण आदि के कारोबार में लगा है।

1. **बिक्री :**

   जब सामान बेचा जाता है और सेवाएं प्रदान की जाती हैं, रेलनीर–पैक किए गए पीने के पानी, स्क्रेप, खाद्य एवं पेय पदार्थों की वस्तुओं की बिक्री की पहचान की जाती है और जहां कहीं लागू है, उत्पाद शुल्क का शुद्ध, एएस 9 के अनुसार वैट आदि दर्ज किए जाते हैं। इसमें अंतर–डिपो और अंतर–यूनिट अंतरण शामिल नहीं होते हैं।

2. **इंटरनेट टिकटिंग से आय** :

   इंटरनेट टिकटिंग से आय की पहचान कॉरपोरेशन के वेबसाइट–समर्थित पेमेन्ट गेटवे www.irctc.co.in के जरिए बेची गई टिकटों की बिक्री पर अर्जित सेवा प्रभार के मूल्य के आधार पर की जाती है। प्रोद्भवन के आधार पर इन टिकटों की बिक्री पर अर्जित सेवा प्रभारों को कॉरपोरेशन की आय के रूप में बुक किया गया है।

3. खानपान सेवाओं से आय :

कॉरपोरेशन को रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय द्वारा अधिदेश दिया गया है कि ट्रेनों और अन्य स्थानों पर खानपान सेवाओं को उन्नत और व्यावसायिक बनाए। कंपनी केटरिंग सर्विस से अपनी आय की पहचान निम्नलिखित नीतियों के अनुसार करती है :–

(क) ऑन बोर्ड (ट्रेन में) खानपान सेवाओं से आय :

कॉरपोरेशन भारतीय रेलवे के नेटवर्क पर राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों पर खानपान सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रोद्भवन के आधार पर भारतीय रेलवे के यात्रियों को प्रदान की गयी खानपान सेवाओं के लिए भारतीय रेलवे पर वसूल किए गए बिलों के आधार पर आय को लेखा में लिया जाता है।

(ख) कन्सेशन फीस, उपयोगकर्ता प्रभारों और लाइसेंस फीस से आय :

कॉरपोरेशन निम्नलिखित अनुसार आय प्राप्त कर रहा है :–

क्र.सं	करोबार की गतिविधियाँ	लाइसेंसधारकों से प्राप्त फीस का स्वरूप
1.	राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस देना	कंट्रैक्ट की अवधि (नवीकरण की अवधि सहित, यदि कोई हो) के लिए एक–बारगी कंसेशन फीस और परिवर्तनीय लाइसेंस फीस
2.	मेल / जनशताब्दी / एक्सप्रेस ट्रेनों में खानपान सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए लाइसेंस देना।	(i) कंट्रैक्ट की अवधि (नवीकरण की अवधि सहित, यदि कोई हो) के लिए एक–बारगी कंसेशन फीस और खानपान नीति, 2005 से पूर्व ठेके पर दिए गए ट्रेनों के लिए निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस (ii) रेल मंत्रालय की खानपान नीति, 2005 और संशोधित खानपान नीति, 2005 के अनुसार निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस
3.	भारतीय रेलवे के परिसरों में फूड प्लाजा स्थापित करने और उनके परिचालन के लिए लाइसेंस देना।	(i) आईआरसीटीसी की पहली नीति के अधीन दिए गए ठेकों के मामलों में निर्धारित मासिक उपयोगकर्त्ता प्रभार और परिवर्तनीय लाइसेंस फीस। (ii) रेल मंत्रालय की खानपान नीति, 2005 और संशोधित खानपान नीति, 2005 के अनुसार दिए गए ठेकों के मामले में निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस
4.	रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित वैंडिंग मशीनों के लिए लाइसेंस देना।	(i) आईआरसीटीसी की पहली नीति के अधीन दिए गए ठेकों के मामलों में कंट्रैक्ट की अवधि (नवीकरण की अवधि सहित, यदि कोई हो) के लिए एक–बारगी कंसेशन फीस। (ii) स्वचालित वैंडिंग मशीनों के लिए रेल मंत्रालय की नीति के अनुसार दिए गए नए ठेकों के मामलों में निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस।

5.	रेलवे स्टेशनों पर अचल यूनिटों के लिए लाइसेंस देना।	(i) आईआरसीटीसी की पहली नीति के अधीन दिए गए ठेकों के मामलों में कंट्रैक्ट की अवधि (नवीकरण की अवधि सहित, यदि कोई हो) के लिए एक–बारगी कंसेशन फीस और निर्धारित लाइसेंस फीस। (ii) रेल मंत्रालय की खानपान नीति, 2005 और संशोधित खानपान नीति, 2005 के अनुसार दिए गए ठेकों के मामले में निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस।
6.	भारतीय रेलवे के परिसरों पर रेलयात्री निवास और रेलवे होटलों का पुनर्विकास, परिचालन, प्रबंधन और हस्तांतरण करने के लिए लाइसेंस देना।	ठेकेदारों के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसार निर्धारित वार्षिक उपयोगकर्त्ता प्रभार और लाइसेंस फीस।

निम्नलिखित के अनुसार इन शीर्षों के अंतर्गत आय की पहचान की गई है/लेखा–जोखा किया गया है :–

(i) कन्सेशन फीस : राजस्व की पहचान से संबंधित लेखाकरण मानक (ए.एस.9.) में दी गयी समानुपाती समापन विधि के अनुसार कंट्रैक्ट की अवधि में आय की पहचान मासिक यथाअनुपात के आधार पर (यदि महीने से कम की कोई खंडित अवधि हो तो उसे पूरे महीने के रूप में मान लिया गया है) प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है। कॉरपोरेशन द्वारा प्राप्त एक–बारगी कन्सेशन फीस (असमाप्त कन्सेशन फीस) को अग्रिम में प्राप्त आय के रूप में माना गया है। यदि रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रेनों को रद्द कर देने/बंद कर दिये जाने के कारण ट्रेनों के लिए ठेके समाप्त कर दिये जाते हैं तो आय की पहचान उस अवधि पर की जाती है जिस अवधि में ठेका लागू था।

(ii) उपयोगकर्ता प्रभार : फूड प्लाजा और बजट होटलों के लाइसेंसधारकों द्वारा देय उपयोगकर्त्ता प्रभार को प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

(iii) लाइसेंस फीस :

(क) कॉरपोरेशन द्वारा प्राप्त निर्धारित वार्षिक लाइसेंस शुल्कों को मासिक यथा अनुपात के आधार पर (यदि महीने से कम की कोई खंडित अवधि हो तो उसे पूरे महीना के रूप में मान लिया गया है) प्रोद्भूत होने के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

(ख) परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क को ठेकेदार द्वारा प्रदान की गयी खानपान सेवाओं की निर्धारित प्रतिशतता के रूप में प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

(ग) लाइसेंसफीस को पुनर्विकास, परिचालन, प्रबंध और हस्तांतरण करने के आधार पर लाइसेंसधारियों द्वारा परिचालित रेलयात्री निवास और रेलवे होटलों के प्रक्षेपित कुल कारोबार की निर्धारित प्रतिशतता के रूप में प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

(iv) ठेकों को जब्त करने से प्रोद्भूत आय : निबंधन एवं शर्तों के पालन न किये जाने के कारण समाप्त किए गए खानपान ठेकों से आय की पहचान निम्नलिखित अनुसार की गई है :

(क) ठेका समाप्त किये जाने की तारीख तक, कन्सेशन फीस के संबंध में आय की पहचान कंट्रैक्ट अवधि पर मासिक यथा अनुपात के आधार पर तथा लाइसेंस फीस के मामले में उस अवधि पर मासिक यथा अनुपात के आधार पर की जाती है जिस अवधि में ट्रेन का परिचालन हुआ है।

(ख) अन्य आय : ठेकों की जब्ती पर कन्सेशन फीस, लाइसेंस फीस और प्रतिभूति निक्षेप की शेष राशि को उस वर्ष के दौरान प्रोद्भूत हुई अन्य आय के रूप में पहचाना जाता है।

4. पैकेज टुअरों से आय :

कॉरपोरेशन रेल आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैल्यू एडिड टूअरों के अधीन विशेष ट्रेनों, विशेष कोच चार्टरों और शायिकाओं की बुकिंग करने में लगा है। विशेष ट्रेनों/कोच चार्टरों से प्राप्त आय में रेलवे प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला मूल किराया, अन्य प्रभार और मूल किराये के एक निर्धारित प्रतिशतता के रूप में कॉरपोरेशन का सेवा प्रभार सम्मिलित होता है। वैल्यू एडिड टूअरों के मामले में, आय में किराया, ब्लाक बुकिंग प्रभार, रेल प्रशासन द्वारा लगाए गए अन्य प्रभार और किराये के निर्धारित प्रतिशतता के रूप में कॉरपोरेशन सेवा प्रभार सम्मिलित होता है।

संपूर्ण टुअर पैकेजों और बौद्ध परिपथ विशेष रेलगाड़ी के मामले में आय में ग्राहक से वसूल किए गए सेवा कर की शुद्ध कुल रकम शामिल होती है।

लाइसेंसधारकों द्वारा परिचालित भारत दर्शन रेलगाड़ियों के मामले में, टुअर ऑपरेटरों से वसूल किए गए सेवा कर की कुल शुद्ध रकम और टुअर ऑपरेटर से वसूल की गई लाइसेंस फीस को प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

आईआरसीटीसी द्वारा परिचालित भारत दर्शन रेलगाड़ियों के मामले में, ग्राहक से वसूल की गई सेवा कर की कुल शुद्ध रकम प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में ली जाती है।

5. टीडीआर सहित सावधि जमाराशियों से ब्याज से आय :

सावधि जमा राशियों और टीडीआर से ब्याज के रूप में प्राप्त आय की पहचान प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है।

व्यय :

व्यय की मदों की पहचान प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है, तथापि ऐसे कुछ व्यय/दावे जो कि निश्चेय नहीं है, निश्चित हो जाने पर लेखा में लिया जाता है।

1. रेलनीर–पैक किए गए पीने के पानी और विभागीय खानपान के कार्यकलाप पर व्यय :

व्यय को प्रोद्भवन होने के आधार पर लेखा में लिया जाता है और सभी ज्ञात हानियों और देयताओं के लिए प्रावधान किया जाता है।

2. इंटरनेट टिकटिंग पर व्यय :

व्यय का लेखा प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है और सभी ज्ञात हानियों तथा देयताओं के लिए प्रावधान किया जाता है।

3. भुगतान किया गया खानपान प्रभार :

(क) **ऑनबोर्ड (ट्रेन में) केटरिंग प्रभार** : ठेकेदार को भुगतान किए गए केटरिंग प्रभारों को भारतीय रेलवे के यात्रियों को प्रदान की गयी खानपान सेवाओं के लिए कॉरपोरेशन को दिए गए बिलों के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

(ख) कन्सेशन फीस, उपयोगकर्ता प्रभार, लाइसेंस फीस और कर्षण प्रभार :–

इस शीर्ष अंतर्गत व्यय की निम्नलिखितानुसार पहचान की गई है/उसका लेखा–जोखा किया गया है:

(i) भुगतान की गई कन्सेशन फीस : ऑन बोर्ड केटरिंग ठेका, एवीएम, अचल यूनिटों आदि के संबंध में भारतीय रेलवे को देय कन्सेशन फीस की पहचान कंट्रैक्ट की अवधि पर मासिक यथा अनुपात के आधार पर (यदि महीने से कम की कोई खंडित अवधि हो तो उसे पूरे महीने के रूप में मान लिया गया है) प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है। भारतीय रेल को असमाप्त कन्सेशन फीस के किए गए भुगतान को अग्रिम के रूप में माना गया है। यदि ट्रेनों के लिए ठेके, ठेके की निबंधन एवं शर्तों का पालन न किए जाने या रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रेन रद्द /समाप्त कर दिये जाने के कारण समाप्त कर दिये जाते हैं, तो व्यय की पहचान उस अवधि पर की जाती है जिस अवधि में ठेका लागू था।

(ii) भुगतान किए गए उपयोगकर्ता प्रभार : फूड प्लाजा और बजट होटलों के संबंध में भारतीय रेलवे को देय उपयोगकर्त्ता प्रभार को प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

(iii) भुगतान की गई लाइसेंस फीस :

(क) कॉरपोरेशन द्वारा भारतीय रेलवे को देय निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस को मासिक यथा अनुपात के आधार पर (यदि महीने से कम की कोई खंडित अवधि हो तो उसे पूरे महीना के रूप में मान लिया गया है) प्रोद्भूत होने के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

(ख) भारतीय रेल को देय परिवर्तनीय लाइसेंस फीस को प्रदान की गयी खानपान सेवाएं/की गयी बिक्री की निर्धारित प्रतिशतता के रूप में प्रोद्भूत होने के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

(iv) कर्षण लागत :

पिछले वर्ष के दौरान रेल मंत्रालय द्वारा लगाई गई कर्षण लागत 30 करोड़ रु. की रकम को चल पैन्ट्रीकारों के संबंध में प्रदान की गई हैं।

(v) पर्यटन व्यय :

भारतीय रेल द्वारा लगाई गई टिकट की लागत, अन्य प्रभार, यदि कोई हो और विशेष ट्रेनों/कोच चार्टरों/बर्थों की बुकिंग पर सेवा प्रभारों को प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

संपूर्ण टुअर पैकेजों और बौद्ध परिपथ विशेष रेलगाड़ी के मामले में, ट्रेन टिकटों की लागत, सेवा प्रभारों, और अन्य प्रभारों, यदि कोई भारतीय रेलवे द्वारा लगाए गए हों, सड़क यात्रा व्ययों और आवास तथा भोजन प्रभारों आदि को प्रोद्भवन के आधार पर लेखा में लिया जाता है।

अचल परिसम्पतियाँ और अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां :

(i) अचल परिसम्पतियों को संस्थापना प्रभारों और अन्य संबंधित व्ययों सहित उनके अर्जन की लागत पर निर्धारित किया जाता है।

(ii) कंप्यूटरों के मामले में कंप्यूटरों के साथ प्राप्त ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की लागत को कंप्यूटरों के साथ पूंजीकृत किया गया है, जबकि नियमित अपग्रेड और वार्षिक रख–रखाव प्रभारों को राजस्व व्यय के रूप में माना गया है।

(iii) कार्यालय परिसरों के लिए पट्टे पर लिए गए भवनों पर हुए व्यय का पट्टाधृति–कार्यालय विकास के रूप में पूंजीकृत किया गया है।

(iv) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां अधिग्रहण के लिए पर्याप्त प्रदत्त पर रिकॉर्ड की जाती हैं। सॉफ्टवेयर विकास प्रभार, वेब पोर्टल, पर्यटन पोर्टल व्यय, जोकि पूर्व वर्षों में कंप्यूटरों के साथ पूंजीकृत किया गया था, अब दिनांक

09.01.2009 को भारत के चार्टर्ड अकाउंटेन्ट इंस्टीट्यूट की एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की राय के अनुसार अप्रत्यक्ष शीर्ष के अंतर्गत पूंजीकृत किया गया है।

(v) ऐसी खानपान यूनिटों में स्थित औजारों व संयंत्रों को, जैसा है, जहां है, के आधार पर लिया जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों के मूल्य उपलब्ध न होने कारण, ऐसी परिसंपत्तियों को उनका वास्तविक सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए कॉरपोरेशन के जोनल कार्यालयों की बहियों में प्रति मद 1/–रु. के नाममात्र के मूल्य पर लेखा में लिया जाता है।

पूंजीगत चालू कार्य :

बजट होटलों, पलूर में रेलनीर संयंत्र में लंबित कार्यों, कार्यान्वयनाधीन जेवी कंपनी कार्य के लिए लग्जरी ट्रेन निर्माण कार्य संबंधी व्यय पूंजीगत चालू कार्य के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं और कार्य समापन के बाद अलग–अलग शीर्षों में आबंटित किए जाएंगे।

मूल्यह्रास :

(i) कॉरपोरेशन नांगलोई और दानापुर में स्थित रेलनीर संयंत्रों के भवनों और संयंत्र एवं मशीनरी तथा अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की सीधी पद्धति और अन्य परिसंपतियों के संबंध में ह्रासित मूल्य पद्धति अपना रहा हैं। मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट दरों पर दिया जाता है। मूल्यह्रास इस्तेमाल के लिए प्रस्तुत करने की तारीख से यथानुपात के आधार पर परिकलित किया जाता है। वर्ष के दौरान मूल्यह्रास परिसंपतियों की बिक्री, छांटने तथा क्षति होने की तारीख तक दिया जाता है।

(ii) जिन विशेष परिसंपत्तियों के अर्जन की वास्तविक लागत वर्ष के दौरान 5000/– रुपये (पांच हजार रुपये) से अधिक नहीं है, उनके मामले में मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अनुसार 100 प्रतिशत की दर से किया गया है।

(iii) पट्टाधृति–कार्यालय परिसरों के संबंध में कार्यालय विकास का पट्टे की अवधि पर मूल्यह्रास किया गया है।

(iv) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों की उपयोगी आयु 4 साल मानी गई और ऐसी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास सीधी पद्धत्ति के आधार पर 25 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से किया गया है।

(v) पट्टाधृति जमीन पर निर्मित आवासीय फ्लेटों के संबंध में मूल्यह्रास जमीन की पट्टा की अवधि पर प्रभारित किया जाता है।

वस्तुसूचियाँ :

(i) वस्तुसूचियों का मूल्यांकन कम लागत और शुद्ध वसूलनीय मूल्य पर किया जाता है।

(ii) कच्चे माल, पैकिंग सामान, भण्डार, मशीन के अतिरिक्त पुर्जों और उपभोग्य वस्तुओं के मामले में, कीमत में शुल्क एवं कर (केनवेट (CENVAT) का शुद्ध, जहां कहीं लागू हो) शामिल होते हैं और वह फाइफो (FIFO) के आधार पर घटित होता है।

(iii) तैयार माल और चालू कार्य की लागत में कच्चे माल, पैकिंग सामग्री की लागत, निश्चित और परिवर्तनीय उत्पादन खर्चों का समुचित भाग, यथालागू उत्पाद शुल्क तथा अन्य व्यय जो वस्तुसूचियों को उनकी वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में किया गया, शामिल है।

(iv) पीडी मदों (व्यापारिक सामान) का मूल्यांकन फाइफो (FIFO) के आधार पर लागत पर किया जाता है।

निवेश :–

निवेश (संयुक्त उद्यम कंपनी मे निवेश सहित) को दीर्घावधि के रूप में वगीकृत किया जाता है और लागत में दिखाया जाता है।

कर्मचारी लाभ :

(i) दूसरी वेतन संशोधन समिति रिपोर्ट और छुट्टी के बदले नकद भुगतान के अनुसार 10 लाख रु. के उपदान के लिए प्रावधान/देयताएं वर्ष के अन्त में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर बनाई जाती हैं और लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित की जाती हैं।

(ii) विदेश सेवा अंशदान–पेंशन और छुट्टी वेतन के लिए प्रावधान/देयताएं सरकारी नियमों/ विनियमों के अनुसार बनाई जाती है और प्रोद्भवन के आधार पर लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित की जाती हैं।

कराधान :

(i) कॉरपोरेशन ने वर्तमान आयकर के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों पर व्यवस्था की है।

(ii) कॉरपोरेशन ने आस्थगित कराधान को भारतीय सनदी (चार्टर्ड) लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ''आय पर करों का लेखाकरण'' पर लेखाकरण मानक (एएस) 22 के अनुरूप लेखा में दिया है।

वर्ष के लिए बुक लाभ व कर योग्य लाभ के बीच समय के अंतरों के आधार पर आस्थगित कर उन कर दरों तथा कानूनों को लागू कर लेखा में लिया जाता है जो तुलन पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा मौलिक रूप से अधिनियमित किए गए हैं। समय के अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान उस उचित निश्चितता की सीमा तक की जाती है कि परिसंपत्तियों को भविष्य में प्राप्त किया जा सकता है।

प्रस्तावित लाभांश :

निदेशक बोर्ड द्वारा यथा प्रस्तावित अंतिम लाभांश वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के अध्यधीन है। तथापि, लाभांश और लाभांश कर के लिए प्रावधान वार्षिक लेखा में किया गया है।

वर्ष के दौरान भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश को निदेशक बोर्ड द्वारा प्रस्तावित अंतिम लाभांश के संबंध में समायोजित किया जाएगा।

फुटकर देनदार/अग्रिम :

फुटकर देनदारों/अग्रिमों को अशोध्य के रूप में माने गए ऋणों के बट्टे खाते में डालने के बाद दर्शाया जाता है । संदिग्ध माने गए ऋणों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएँ :

(i) पूंजीगत लेखा के अंतर्गत निष्पादित किए जाने के लिए शेष ठेकों की अनुमानित रकम और पिछले वर्ष में 154.20 लाख रु. की तुलना में 3064.76 लाख रु. की राशि की व्यवस्था नहीं की गई।

(ii) कंपनी के विरूद्ध ऋण, लम्बित अपीलीय/न्यायिक निर्णय के रूप में अस्वीकृत दावा।

(लाख रु. में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2009 को	31 मार्च 2008 को
1.	आयकर (निर्धारण वर्ष 2004–2005 के लिए 30.69 लाख रू. की मांग की गई) – निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध धारा 246 (1)(क) के अंतर्गत अपील दायर की गई।	30.69	30.69
2.	आयकर (गलती से अस्वीकृत रकम) – धारा 246 (1)(क) के अंतर्गत अपील दायर की गई।	11.01	11.01
3.	बिक्रीकर/वैट (मांग)	1.17	1.17
4.	बिक्रीकर/वैट (मांग और जुर्माना)–याचिका दिल्ली उच्च न्यायलय में दायर की गई। इसके अतिरिक्त, अप्रैल, 2005 से मार्च, 2006 तक की मांग एवं जुर्माना के आदेश दिल्ली वैल्यू एडिड कर विभाग से प्राप्त हुए। उसे भी दिल्ली के माननीय उच्च न्यायलय में याचिक दायर करके चुनौती दी गई है। रेलगाड़ियों में खानपान की सेवा प्रदान करना आउटडोर केटरर के सामान दी गई सेवाओं के बराबर होती है और सेवाकर दायी है। ये सेवाएं सामान की बिक्री के बराबर नहीं होती है तथा इसलिए कोई बिक्रीकर/वैट उक्त सेवाओं पर नहीं लगाया जा सकता।	3137.40	1175.63
5.	बिक्रीकर (अधिक जमा की गई रकम)–धन वापसी होनी है।	19.40	19.40
6.	बिक्रीकर (कार्य ठेका की अधिक रकम)	4.03	4.03

2. निदेशकों पर/द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष 2008–2009 के दौरान, कॉरपोरेशन ने प्रबंध निदेशक और कार्यरत निदेशकों के लिए निम्नलिखित भुगतानों की व्यवस्था की है या उनका भुगतान किया है :

(लाख रु. में)

विवरण	प्रबंध निदेशक*		कार्यरत निदेशक	
	31.03.2009 को समाप्त वर्ष	31.03.2008 को समाप्त वर्ष	31.03.2009 को समाप्त वर्ष	31.03.2008 को समाप्त वर्ष
वेतन, भत्ते एवं अनुलाभ	2.59	5.76	25.22	20.05
यात्रा व्यय–स्वदेशी यात्रा	2.56	0.56	6.39	2.80
यात्रा–व्यय–विदेशी यात्रा	शून्य	शून्य	2.20	शून्य
रेलवे को अदा किया गया एफएससी	0.64	1.23	शून्य	शून्य
जोड़	**5.79**	**7.55**	**33.81**	**22.85**

*श्री राकेश कुमार टंडन, प्रबंध निदेशक ने 05.01.2009 को प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला।

3. लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक(सेवाकर सहित, जहाँ कहीं लागू हो) (लाख रु. में)

विवरण	31.03.2009 को समाप्त वर्ष	31.03.2008 को समाप्त वर्ष
सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	1.82	1.65
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.90	0.65
अन्य कार्यों के लिए	शून्य	शून्य
पॉकिट में से व्यय	4.06	1.90
जोड़	**6.78**	**4.20**

4. उत्पादन

(i) रेलनीर – पैक किया गया पीने का पानी (,000 में)

मद विवरण	यूनिट	स्थान	स्थापित क्षमता* (संख्या)		उत्पादन (संख्या)	
			2008–09	2007–08	2008–09	2007–08
रेलनीर पैक किया गया पीने का पानी	1000 मि.लि. की बोतलें	नांगलोई	23760	23760	21110	21043
		दानापुर	23760	23760	16886	19602
जोड़			**47520**	**47520**	**37996**	**40645**

* स्थापित क्षमता तीन–शिफ्ट के आधार पर मानी गई है।

(ii) विभागीय केटरिंग :–

भारतीय रेलों द्वारा निर्धारित मेन्यू के अनुसार केटरिंग कार्य–कलापों में लगी हुई विभागीय यूनिटें विभिन्न पकी चीजों को तैयार करने में लगी हुई हैं। उक्त मेन्यू एक क्षेत्रीय रेलवे दूसरी क्षेत्रीय रेलवे में भिन्न–भिन्न होते हैं। चीजों को मेन्यू के अनुसार तैयार किया जाता है। किसी विशेष तैयार की गई चीज के लिए स्थापित क्षमता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, तैयार की गई चीजें विषम स्वरूप की हैं, इसलिए तैयार चीजों की प्रत्येक श्रेणी का ब्यौरा देना संभव नहीं है।

5. स्टॉक और कुल बिक्री (टर्नओवर) :

(i) रेलनीर – पैक किया गया पीने का पानी

वर्ष	यूनिट	प्रारंभिक स्टॉक		अंतिम स्टॉक		कुल बिक्री	
		मात्रा (,000 में)	मूल्य (लाख रु.में)	मात्रा (,000 में)	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (,000 में)	मूल्य* (लाख रु. में)
2008–09	1000 मि.ली. की बोतलें	3459	216..36	3909	240.93	37896	1278.47
2007–08		3319	218.93	3459	216.36	40479	1099.69

* उत्पाद शुल्क और बिक्री कर रहित बिक्री

(ii) विभागीय केटरिंग :–

वर्ष	यूनिट	प्रारंभिक स्टॉक		अंतिम स्टॉक		कुल बिक्री	
		मात्रा (,000 में)	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (,000 में)	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (,000 में)	मूल्य (लाख रु. में)
2008–09	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	186.90	उपलब्ध नहीं	157.48	उपलब्ध नहीं	13558.09
2007–08	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	223.33	उपलब्ध नहीं	186.90	उपलब्ध नहीं	14342.80

*इसमें पुनः बिक्री के लिए खरीदी गई पी डी चीजें शामिल। पीडी चीजें, पैक की गई स्थिति में, बाजार से .खरीदी गई और रेलवे स्टेशनों पर बेची गई जैसे नमकीन, बिस्कुट और मिनरल वाटर आदि स्वामित्व वितरण वाली चीजें है,

(iii) विभागीय केटरिंग–बेडरोल एवं सफाई सेवाएं :–

वर्ष	यूनिट	प्रारंभिक स्टॉक		अंतिम स्टॉक		कुल बिक्री	
		मात्रा (,000 में)	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (,000 में)	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (,000 में)	मूल्य (लाख रु. में)
2008–09	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	117.74
2007–08	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नही	1597.36

*विभागीय केटरिंग यूनिटें उन विभिन्न स्टेशनों पर रेलवे यात्रियों को खाद्य एवं पेय पदार्थो की सप्लाई में लगी हुई हैं, जहाँ केटरिंग कारोबार को कॉरपोरेशन द्वारा अपने अधिकार में ले लिया है, और जो विषम स्वरूप की है। इसलिए खरीद, बिक्री, प्रांरभिक और अन्तिम स्टॉक के लिए उसकी मात्रा दर्शाते हुए सामान की प्रत्येक श्रेणी का मात्रात्मक ब्यौरा देना व्यवहार्य नहीं है।

बेडरोल सेवाएं 01.08.2007 से दिनांक 01.08.07 के पत्र सं.2006/टीजी–।।।/645/4 के अनुसार कंपनी से हटा ली गई है, बहरहाल उन्हें संविदागत बाध्यताओं के कारण खानपान लाइसेंसधारक के द्वारा कुछ रेलगाडियों में संभाला जाता है।

6. उपयोग किया गया कच्चा माल

(i) रेलनीर

	यूनिट	2008–2009		2007–2008	
		मात्रा (,000 में)	मूल्य (लाख रू. में)	मात्रा (,000 में)	मूल्य (लाख रू. में)
प्रीफार्म्स	संख्या	38483	739.96	41349	771.26
केप्स	संख्या	38405	128.98	41274	142.06
लेबल	संख्या	39106	46.93	40713	48.81
कार्टन्स	संख्या	3194	207.22	3473	200.97
बॉप्प टेप्स	रोल्स	4	10.48	5	7.99
जोड़			**1133.57**		**1171.09**

(ii) विभागीय केटरिंग

	2008–2009		2007–2008	
	मात्रा (,000 में)	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (,000 में)	मूल्य (लाख रु. में)
उपयोग किया गया कच्चा माल	उपलब्ध नहीं	3717.56	उपलब्ध नहीं	4006.25

केटरिंग कार्यकलापों में लगी विभागीय यूनिटें भारतीय रेल द्वारा मेन्यू में निर्धारित पकी चीजों को बनाने के लिए आवश्यक असंख्य कच्चे माल की बहुत सी वस्तुओं का उपयोग कर रही हैं। उक्त मेन्यू एक क्षेत्रीय रेलवे से दूसरी क्षेत्रीय रेलवे में भिन्न–भिन्न होता है। उसी प्रकार अपेक्षित बहुत से कच्चे माल भी भिन्न–भिन्न होते हैं। कच्चे माल के रूप में प्रयोग की गई वस्तुएँ विषम स्वरूप की हैं। उपयोग की गई वस्तुओं की प्रत्येक श्रेणी का मात्रात्मक ब्यौरा देना संभव नही है।

7. विदेशी मुद्रा में खर्च

(लाख रु. में)

व्यय का स्वरूप	2008–09	2007–08
विदेश यात्रा व्यय–निदेशकों का	2.20	शून्य
विदेश यात्रा व्यय–अन्यों का	26.05	11.82
जोड़	**28.25**	**11.82**

8. निदेशक बोर्ड की राय में, वर्तमान परिसंपत्तियों का मूल्य, ऋण और अग्रिम, यदि सामान्य कारोबार के दौरान वसूल किए गए तो वह उस राशि से कम नहीं होंगे जो कि तुलन–पत्र में बताए गए हैं। बहरहाल, तुलन–पत्र में यथा उल्लिखित देनदारों का शेष जिसमें रेलवे देनदारी शामिल है और लेनदारों के बकाया की पुष्टि की जानी है।

9. कर्मचारियों के लाभ

परिभाषित लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण

(i) उपदान : उन पात्र कर्मचारियों को जो 5 वर्ष की अथवा अधिक की लगातार सेवा करते हैं सेवा के पूर्ण प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर से अलहदगी पर देय। दूसरी वेतन संशोधन समिति रिपोर्ट के आधार पर पहले की 3.50 लाख रु. की सीमा के लिए 10 लाख रु. की उपदान की उच्चतम सीमा के संबंध में बीमांककात्मक मूल्यांकन के लिए विचार किया गया है।

(ii) छुट्टियों का नकदीकरण : उन पात्र कर्मचारियों को जिन्होंने अर्जित छुट्टी एकत्र की है, अलहदगी पर देय। छुट्टी का वेतन मूल्यांकन के आधार पर दिया जाता है, जैसाकि तुलन पत्र तारीख को स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा बनाया जाता है।

(iii) भविष्य निधि : कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता जमा मूल वेतन का 12 प्रतिशत और कारपोरेशन का समानक अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली के पास रखी गई भविष्य निधि के लिए दिया जाता है। भविष्य निधि के लिए कॉरपोरेशन का अंशदान राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

(iv) विदेश सेवा अंशदान : सरकार के नियमों और विनियमों के अनुसार वर्ष 2008–2009 के लिए प्रतिमान्य प्रतिनियुक्तों (वे कर्मचारी जिन्होंने भारतीय रेलवे से निश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर कॉरपोरेशन में कार्यभार संभाला है) सहित प्रतिनियुक्तों के संबंध में छुट्टी वेतन और पेंशन के लिए देय विदेश सेवा अंशदान प्रोद्भवन के आधार पर राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

परिभाषित बाध्यताओं के संबंध में ''कर्मचारी हित'' पर लेखाकरण मानक (ले.मा.)–15(संशोधित) के अंतर्गत यथा अपेक्षित, अन्य प्रकटन इस प्रकार हैं :

क्र.सं.	विवरण	31.03.2009 को	31.03.2008 को
(i)	कटौती दर (प्रति वर्ष)	7 प्रतिशत	8 प्रतिशत
(ii)	मृत्यु दर	विधिवत आशोधित एलआईसी (94–96)	विधिवत आशोधित एलआईसी(94–96)
(iii)	निकासी दरें (प्रति वर्ष)		
	30 वर्ष तक	3	3
	31 से 44 वर्ष तक	2	2
	44 वर्ष से ऊपर	1	1
(iv)	प्लान आस्तियों पर प्रति–लाभ की अनुमति दर	0	0
(v)	बीमांककात्मक मूल्यांकन में विचार की गई भावी देयता वृद्धियों के अनुमान में, मुद्रास्फीति दर, वरीयता, पदोन्नति और अन्य संगत कारकों को लेखे में लेते हैं।		

(ख) बीमांककात्मक विधि

प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) बीमांककात्मक विधि का प्रयोग सेवानिवृत्ति, सर्विस–में–मृत्यु और निकासी के लिए बहिर्गमन कर्मचारियों के प्लान की देयताओं का आकलन करने और सर्विस में रहते समय अनुपस्थिति की क्षतिपूर्ति करने के लिए भी किया जाता है।

पीयूसी विधि के अंतर्गत प्रक्षेपित प्रोद्भूत लाभ को अवधि के प्रारंभ में और पुनः प्रत्येक लाभ के लिए अवधि के अन्त में परिकलित किया जाता है, जो प्लान के सभी सक्रिय सदस्य के लिए प्रोद्भूत होगा। प्रक्षेपित प्रोद्भूत लाभ प्लान प्रोद्भवन फार्मूला और सेवा पर अवधि के प्रारंभ अथवा अन्त के रूप में आधारित होता है, परंतु सदस्य की अंतिम क्षतिपूर्ति का प्रयोग करने पर, उस आयु के लिए प्रक्षेपित जिस पर कर्मचारी की सक्रिय सेवा छोड़ने के लिए कल्पना की जाती है। प्लान देयता सक्रिय सदस्यों के लिए जिसमें सर्विस में रहते हुए छ्ट्टी का उपयोग, नकदीकरण शामिल है, मूल्यांकन की तारीख को प्रक्षेपित प्रोद्भूत लाभों का बीमांककात्मक वर्तमान मूल्य है।

(ग) प्लान परिसंपत्तियाँ

(1) प्लान परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(लाख रु. में)

	उपदान		छ्ट्टी नकदीकरण	
क) अवधि के प्रारंभ में प्लान संपत्तियों का उचित मूल्य	31.03.2009	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2008
ख) अर्जन समायोजन	–	–	–	–
ग) प्लान परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	–	–	–	–
घ) अशंदान	–	–	–	–
ड) प्रदत्त लाभ	–	–	–	–
च) प्लान परिसंपत्तियां पर बीमांककात्मक लाभ/(हानि)	–	–	–	–
छ) अवधि के अन्त में प्लान परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–	–	–

(2) प्लान परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(लाख रु. में)

	उपदान		छ्ट्टी नकदीकरण	
क) अवधि के प्रारंभ में प्लान संपत्तियों का उचित मूल्य	31.03.2009	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2008
ख) अर्जन समायोजन	–	–		
ग) प्लान परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ	–	–		
घ) अशंदान	–	–		
ड) प्रदत्त लाभ	–	–		
च) अवधि के अन्त में प्लान परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(371.80)	(41.51)	(104.64)	(19.52)
छ) रखी गई निधि की स्थिति	–	–		
ज) प्लान संपत्तियों पर अनुमानित लाभ पर वास्तविक की अधिकता				

(घ) परिभाषित लाभ बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य का समाधान

(लाख रु. में)

क्रम सं.	विवरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
(i)	1 अप्रैल, 2008 की स्थिति के अनुसार प्रक्षेपित लाभ बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	19.51	41.51
(ii)	वर्तमान सेवा लागत	47.94	181.27
(iii)	ब्याज लागत	1.37	2.91
(iv)	बीमांककात्मक लाभ (–) हानि (+)	35.82	146.12
(v)	पिछली सेवा लागत	–	–
(vi)	प्रयुक्त लाभ	–	–
(vii)	31 मार्च, 2009 (i + ii + iii + iv – v – vi) को प्रक्षेपित लाभ बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य **(तुलन पत्र में स्वीकृत रकम)**	104.64	371.81

(ङ) परिसंपत्तियों और दायित्वों के उचित मूल्य का समाधान :

कंपनी ने उपदान देयताओं को धन नहीं दिया है। इसलिए परिसंपत्तियों और दायित्वों के उचित मूल्य का समाधान नहीं किया जा सका।

(च) 31.03.2009 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकृत व्यय :

(लाख रु. में)

क्र. स.	विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		2008–09	2007–08	2008–09	2007–08
1.	वर्तमान सेवा लागत	47.94	10.06	181.27	22.91
2.	ब्याज लागत	1.37	0.65	2.91	1.45
3.	बीमांककात्मक लाभ (–) हानि (+)	32.16	0.74	136.69	0.93
4.	पिछली सेवा लागत	3.65	–	9.43	–
5.	प्लान परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ	–	–	–	–
6.	जोड़ (1+2+3+4–5)	85.12	11.44	330.30	23.43
7.	कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ				
	लाभ व हानि लेखा में प्रभारित	#81.47	11.44	#193.72	23.43
8.	प्लान परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ	–	–	–	–

व्यय को आईआरसीटीसी कर्मचारियों और आईआरसीटीसी में आमेलित कर्मचारियों के लिए प्रोद्भूत देयता के लिए लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया गया है। प्रतिमान्य प्रतिनियुक्त कर्मचारी देयता के लिए रेलवे से प्राप्त की जाने वाली 127.13 लाख रु. की रकम और उपदान तथा छुट्टी वेतन देयता में अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त 13.13 लाख रु. की रकम को आईआरसीटीसी के व्यय के रूप में बुक नहीं किया गया है।

10. भारतीय सनदी लेखाकर (चार्टर्ड अकांउटेंट) संस्थान के दिनांक 09.01.2009 के विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन ने सॉफ्टवेयर विकास प्रभार, अप्रत्यक्ष रूप में वेब पोर्टल और टूरिज्म पोर्टल के लिए सॉफ्टवेयर की लाइसेंस लागत पर किए गए व्यय का पुनः वर्गीकरण करने का निश्चय किया है। पिछले वर्षों के दौरान 77.27 लाख रु. के बुक किए गए अधिक मूल्यहषस को वर्ष के मूल्यह्रास में समायोजित किया गया है। मूल्यह्रास के बाद लाभ में परंतु करों से पहले 77.27 लाख रु. तक की वृद्धि हुई है।

11. वर्ष के दौरान, पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए एक 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी, रायल इंडियन रेल टुअर्स लिमिटेड को जेवी पार्टनर के रूप में कॉक्स एण्ड किंग्स इंडिया लिमिटेड के साथ स्थापित किया। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 500 लाख रु. है। 250 लाख रु. आईआरसीटीसी द्वारा अभिदत्त किए गए है और उन्हें लम्बी अवधि के निवेश के शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

12. पिछले वर्ष 2007–2008 से संबंधित समायोजन :

पूर्व अवधि समायोजन में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(लाख रु. में)

विवरण	31.03.2009 को समाप्त वर्ष	31.03.2008 को समाप्त वर्ष
आय	250.61	4.00
व्यय	64.03	32.69
पूर्व अवधि शुद्ध समायोजन	(186.58)	28.69

पूर्व अवधि आय और व्यय का ब्योरा : पूर्व अवधि आय में 2007–2008 से संबंधित रेलवे को दिए गए बेडरोल और सफाई के बिल शामिल हैं। पूर्व अवधि के व्यय में 2007–2008 से संबंधित बेडरोल सेवाओं आदि के बारे में व्यय शामिल है।

13. फुटकर लेनदार जिसमें लघु–उद्योगों को शून्य रु. (पिछले वर्ष शून्य रु.) की देय राशि शामिल है।

14. अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान :–

कॉरपोरेशन ने अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए निम्नलिखितानुसार प्रावधान किया है :–

(क) 1.20 लाख रु. (पिछले वर्ष 7.90 लाख रु.) जो इंटरनेट के जरिये बुक की गई रेल टिकटों के लिए भुगतान गेटवे द्वारा सूचित किए गए चार्ज बैंक/रिवर्सल के मामलों के संबंध में कुल बकाया का 100 प्रतिशत है, की अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था की गई है।

(ख) इसके अतिरिक्त 2.84 लाख रु. (पिछले वर्ष 4.66 लाख रु.) चार्ज बैक के लिए स्वीकार किए गए थे और उसे अशोध्य ऋण के रूप में पूर्णतः प्रभारित किया गया है।

15. रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड के निदेशों के अनुसरण में, कॉरपोरेशन ने रेलवे से रेलयात्री निवास और भारतीय रेल के रेलवे होटलों सहित संपूर्ण विभागीय केटरिंग कारोबार को अपने अधिकार में ले लिया। इन केटरिंग यूनिटों पर स्थित औजार तथा संयंत्रों को ''जैसा है, जहां है'' के आधार पर लिया गया। ऐसी परिसंपत्तियों के मूल्य उपलब्ध न होने के कारण, ऐसी परिसंपत्तियों को 1/–रु. प्रति मद के नाममात्र के मूल्य पर वास्तविक सत्यापन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कॉरपोरेशन के जोनल कार्यालयों के बही खातों में 0.87 लाख रु. (पिछले वर्ष 1.90 लाख रु.) की रकम को लेखा में लिया गया है। वर्ष के दौरान 1.03 लाख रु. मूल्य के औजार और संयंत्र जोनल रेलों को वापस किए गए। इन परिसंपत्तियों पर वर्ष के दौरान कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान रेलवे से कोई नई परिसंपत्तियाँ अधिकार में नहीं ली गई थी। फिर भी, कॉरपोरेशन ऐसी परिसंपत्तियों का रख–रखाव कर रहा है और

राजस्व शेयर, यदि कोई हो, रेल मंत्रालय के साथ दिनांक 17.01.2007 को किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार रेलों के साथ किया जा रहा है।

16. वर्ष 2008–2009 के दौरान, विभिन्न जोनल रेलों के साथ भागीदारी, रेल मंत्रालय के साथ निष्पादित किए गए दिनांक 17.01.2007 के समझौता ज्ञापन के अनुसार की गई है।

17. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक–18 ''संबंधित पार्टी प्रकटन'' के अनुसार, संबंधित पार्टियों के नाम नीचे दिए गए हैं :–

संबंध का स्वरूप	संबंधित पार्टी का नाम
संयुक्त उद्यम	रायल इंडिया रेल टुअर लिमिटेड
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	1. श्री राकेश कुमार टंडन, प्रबंध निदेशक (05.01.2009 से) 2. डॉ. नलिन सिंघल, निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) 3. श्री विनोद अस्थाना, निदेशक (खानपान सेवाएं) 4. श्री वी.आर.गुप्ता, निदेशक (वित्त) (06.10.2008 से)

लेखाकरण मानक में यथा परिभाषित, कंपनी और संबंधित पार्टियों के बीच वर्ष के दौरान लेन–देन का ब्योरा, निम्नलिखित अनुसार है :–

(लाख रु. में)

क्र. स.	लेन–देन का स्वरूप	संयुक्त उद्यम		मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	
		31.03.2009 को	31.03.2008 को	31.03.2009 को	31.03.2008 को
1.	निवेश	250.00	शून्य	–	–
2.	अग्रिम लीज किराया	389.50	शून्य	–	–
3.	प्रबंधकीय पारिश्रमिक	–	–	39.60	30.40

18. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक–27–''संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग'' के अनुसार, भारत में निगमित संयुक्त उद्यम कंपनी में स्वामित्व हित का कंपनी का शेयर, परिसंपत्तियाँ, देयताएं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताएं, पूंजी प्रतिबद्धताएं नीचे दी गई हैं :–

(लाख रु. में)

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	कंपनी के स्वामित्व हित का प्रतिशत	परिसंपत्तियाँ	देयताएं	आय	व्यय	आकस्मिक देयताएं	पूंजीगत प्रतिबद्धताएं
1.	रायल इंडिया रेल टुअर लिमिटेड	50 प्रतिशत	445.45	229.15	2.07	35.76	शून्य	शून्य

19. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक (ले.मा.28)–''परिसंपत्तियों की हानि'' के अनुसरण में, कॉरपोरेशन ने 31 मार्च, 2009 को कॉरपोरेशन की अचल परिसंपत्तियों की रखाव रकम में हानि के किसी संकेत के लिए एक आकलन किया। ऐसे आकलन के आधार पर, प्रबंधन की राय में, कॉरपोरेशन की अचल परिसंपत्तियों की हानि के लिए वर्ष के दौरान कोई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

20. लेखाकरण मानक (ले.मा.29) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुसरण में, 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा में किए गए प्रावधान संबधित प्रकटीकरण निम्नलिखितानुसार हैः—

(लाख रु. में)

विवरण	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		छुट्टी के बदले नकद भुगतान (सेवा		उपदान (सेवा निवृत्ति लाभ) के लिए प्रावधान निवृत्ति लाभ) के लिए प्रावधान	
	2008—09	**2007—08**	**2008—09**	**2007—08**	**2008—09**	**2007—08**
प्रारंभिक शेष	7.90	7.98	41.51	18.09	19.51	8.08
परिवर्धन	1.20	7.90	330.29	23.42	85.12	11.43
उपयोग	7.90	7.98	0	0	0	0
रिवर्सल	0	0	0	0	0	0
अंतशेष	1.20	7.90	371.81	41.51	104.64	19.51

टिप्पणी : 1. संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान प्रबंधन के अनुमानों के आधार पर किया जाता है।

2. सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

21. कॉरपोरेशन ने समय के अंतर के कारण उत्पन्न आस्थगित कर की पहचान की है जो कर योग्य आय और लेखाकरण आय के बीच का अंतर होता है और जो एक अवधि में उत्पन्न होता है और भारतीय चार्टर्ड (सनदी) लेखाकर संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक (ले.मा.22)—आय पर करों के लेखाकरण के अनुपालन में एक अवधि अथवा अधिक अवधि (यों) में रिवर्सल के योग्य है। 31.03.2009 को आस्थगित कर देयता के प्रमुख घटक और समय के अंतर के कारण उत्पन्न आस्ति निम्नलिखितानुसार है :—

(लाख रु. में)

निम्नलिखित के कारण आस्थगित कर देयता	**31 मार्च 2009 को**	**31 मार्च 2008 को**
खाता बहियों और आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आस्तियों के ह्रासित मूल्य के बीच अंतर	283.67	273.50
जोड़	**283.67**	**273.50**
निम्नलिखित के कारण आस्थगित कर आस्ति		
आयकर अधिनियम और कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आस्थगित राजस्व व्यय का अंतर		
संपत्तियों पर हानि	2.91	शून्य
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	0.41	2.69
सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान	93.54	11.85
जोड़	**96.86**	**14.54**
शुद्ध आस्थगित कर देयता	**186.81**	**258.96**

22. लाइसेंसधारक द्वारा प्रबंधित अचल केटरिंग स्टालों जिन्हें रेलों द्वारा ठेके पर दिया गया था, को आईआरसीटीसी को हस्तांतरित कर दिया गया था। रेल मंत्रालय के निदेश के अनुसार, आईआरसीटीसी ने अचल केटरिंग स्टालों के लाइसेंसधारकों को 1 नवम्बर, 2006 से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आधार पर लाइसेंस फीस का भुगतान करने के लिए सूचित किया है। बहरहाल, आईआरसीटीसी और केटरिंग स्टालों के लाइसेंसधारकों के बीच उनके संबंध में कोई लिखित संविदा मौजूद नहीं है।

यह देखा गया है कि बहुत से लाइसेंसधारक जीडीपी आधार पर निर्धारित लाइसेंस फीस का भुगतान नहीं कर रहे हैं और बहुत से लाइसेंसधारक जीडीपी आधार पर लाइसेंस फीस के निर्धारण को चुनौती देने न्यायालय चले गए हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। लाइसेंसधारकों से वसूल की जाने वाली रकम के निर्धारण के संबंध में अनिश्चितताएं हैं। कॉरपोरेशन ने निम्नलिखित ढंग से ऐसे लाइसेंसधारक केटरिंग स्टालों के संबंध में लेखाकरण मानक (ले.मा.9) के अनुसार आय की पहचान की है :–

- उन अचल केटरिंग स्टालों के लिए राजस्व जोकि भारतीय रेल से अधिकार में ली गई थी और जिनके लिए निविदाओं को, पहले के आधार पर जिस पर आय पिछले वर्ष के दौरान प्रोद्भूत हुई थी, अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
- जहां कहीं भुगतान जीडीपी के आधार पर वसूल किया गया है, उसे जीडीपी के आधार पर प्रोद्भूत किया गया है।
- जीडीपी आधार पर अचल केटरिंग स्टालों की लाइसेंस फीस वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

23. (क). पट्टाधृति–कार्यालय परिसरों पर सिविल कार्य पर उठाए गए खर्च को पट्टाधृति–कार्यालय विकास के रूप में लेखा में दिया गया है और मूल्यह्रास को पट्टा के करार के अनुसार पट्टावधि के आधार पर परिकलित किया गया है।

(ख). रेलनीर संयंत्रों के अलावा रेल भूमि पर स्थित परिसरों पर सिविल कार्य पर उठाए गए खर्च को पट्टाधृति सुधार के रूप में लेखा में दिया गया है और 10 वर्ष की अवधि से अधिक तक मूल्यह्रासित किया गया है।

24. आईआरसीटीसी ने नांगलोई और दानापुर रेलनीर संयंत्र की स्थापना के लिए पट्टे के आधार पर रेलवे से भूमि ली है, जिसके लिए रेलवे प्राधिकारियों द्वारा पट्टा अवधि निर्धारित नहीं की गई है। रेलवे की नीति के अनुसार पट्टे की अधिकतम अवधि 35 वर्ष की अवधि की हो सकती है जिसका 35 वर्ष की अवधि से आगे नवीकरण किया जा सकता है। नांगलोई और दानापुर में रेलनीर संयंत्रों के भवनों पर मूल्यह्रास निरन्तर अपनाई जा रही लेखाकरण नीति के अनुसार सीधी लाइन पर प्रदान किया गया है। आईआरसीटीसी ने आईआरसीटीसी को दी गई ऐसी भूमि की अधिकतम पट्टा अवधि की पुष्टि करने के लिए संबंधित रेलवे को लिखा है और जिसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

25. वित्तीय वर्ष 2008–2009 के लिए मोबाइल पैन्ट्रीकारों के संबंध में 3,000 लाख रु. (पिछले वर्ष 3.000 लाख रु.) कर्षण प्रभार के रूप में प्रदान किए गए हैं।

26. रेल मंत्रालय ने दिनांक 22.11.2006 के पत्र सं.2006/एलएमबी/09/03 के द्वारा निदेश दिया है कि केटरिंग तथा वेंडिंग यूनिटों के लिए जल प्रभारों का भुगतान आईआरसीटीसी द्वारा किया जाना अपेक्षित है। जल प्रभार के लिए कोई मांग रेल मंत्रालय अथवा जोनल रेलों से प्राप्त नहीं हुई है। विभागीय केटरिंग यूनिटों के लिए जल प्रभार का प्रावधान कल्पित आधार पर किया जाता है जैसीकि जोनल रेलों द्वारा बिक्री के कुल कारोबार के 0.1 प्रतिशत की दर से अपनाई गई पद्धति थी।

उन विभागीय केटरिंग यूनिटों के लिए बिजली प्रभारों के लिए प्रावधान, जहां बिल संबंधित रेलों से प्राप्त नहीं हुए हैं, अन्य यूनिटों में प्राप्त बिलों के आधार पर किया जाता है। पिछले वर्ष में टर्नओवर के 0.3 प्रतिशत की बजाए टर्नओवर के 2.5 प्रतिशत की व्यवस्था की जा रही है। पहले से प्रावधान की अधिकता में प्राप्त होने वाले वास्तविक बिलों को ध्यान में रखा जा रहा है।

27. आईआरसीटीसी मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों पर और रेल मंत्रालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार अन्य स्थानों पर खानपान सेवाएं प्रदान कर रही है। जहां कही, कारोबार विभागीय तौर पर चलाई गई यूनिटों द्वारा संभाला जाता है, बिक्री और व्यय को प्रोद्भवन के आधार पर बुक किया जाता है। अन्य मामलों में, जहां कारोबार का प्रबंध लाइसेंसधारकों के माध्यम से किया जाता है, वहां सफल बोलीदाता द्वारा उद्धृत की गई केवल कंसेशन फीस/लाइसेंस फीस को लेखाकरण मानक (ले.मा.9) के अनुसार राजस्व के रूप में लिया जाता है।

28. खंडवार सूचना (ले.मा.–17):

कॉरपोरेशन ने कारोबार खंड को प्रमुख खंड के रूप में व्यक्त किया है। खंड की पहचान प्रदान की गयी सेवाओं के स्वरूप, संगठन के ढाँचे और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली को ध्यान में रखते हुए की गई है।

कॉरपोरेशन के परिचालन मुख्य रूप से निम्नलिखित की व्यवस्था करने से संबंधित हैं :

- लाइसेंसधारक खानपान
- विभागीय खानपान
- रेलनीर
- पर्यटन
- इंटरनेट टिकटिंग

(क) कॉरपोरेशन मुख्य रूप से स्वदेशी बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए सूचित किए जाने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है।

(ख) खंड राजस्व में रेलनीर पैक किए गए पीने के पानी, विभागीय केटरिंग कार्यकलापों के माध्यम से खाद्य एवं पेय पदार्थ, इंटरनेट और पैकेज टुअरों के माध्यम से रेल टिकटों की बिक्री और पैकेज टुअरों से आय शामिल हैं। इसमें राजधानी, शताब्दी, जन शताब्दी, मेल एक्सप्रेस, में लाइसेंस प्रदान करने के मामले में कन्सेशन फीस, लाइसेंस फीस और रेल परिसरों में फूड प्लाजाओं एवं रेलयात्री निवास तथा रेलवे होटलों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्रदान करने के मामले में उपयोगकर्ता प्रभार और सेवा प्रभार भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों को अलग–अलग खंडों में राजस्व और व्यय को दर्ज करने के लिए सुसंगत रूप से लागू किया जाता हैं, जैसाकि प्रमुख लेखाकरण नीतियों की टिप्पणी में उल्लेख किया गया है।

खंड से संबंधित राजस्व तथा प्रत्यक्ष व्ययों को उन मदों के आधार पर आबंटित किया जाता है जिनकी अलग–अलग रूप से खंड से संबंधित होने की पहचान की जा सकती है, जबकि लागतों के तकाजों को आबंटित न किए गए व्ययों के रूप में कोटिबद्ध किया जाता है। प्रबंधन का यह मानना है कि इन व्ययों का खंड प्रकटीकरण उपलब्ध करना व्यावहारिक नहीं है और तदनुसार इन व्ययों को अनाबंटित रूप में अलग से प्रकट किया जाता है तथा इन्हें केवल कॉरपोरेशन की कुल आय के लिए समायोजित किया जाता है। कुल राजस्व में इन अनाबंटित व्ययों की समग्र प्रतिशतता महत्वपूर्ण नहीं है।

संविदागत परिसंपत्तियों और देयताओं को उनकी अपनी पहचान पर आधारित विभिन्न खंडों में आबंटित किया जाता है। कॉरपोरेट/जोनल/क्षेत्रीय कार्यालयों की अचल परिसंपत्तियों को उपयोग के आधार पर नियतन किया गया है और वे आस्तियाँ/देयताएं जिन्हें खंडवार सूचना में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, अनाबंटीय आस्तियों/देयता के रूप में दर्शाया गया है। कुल आस्तियों/देयताओं में इन अनाबंटीय आस्तियों/देयताओं की समग्र प्रतिशतता महत्वपूर्ण नहीं है।

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

31.03.2009 को समाप्त वर्ष के लिए खण्डवार सूचना (लाख रु. में)

विवरण	लाइसेंसधारक केटरिंग		रेलनीर		इंटरनेट टिकटिंग		पर्यटन		विभागीय केटरिंग		जोड़	
	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08
राजस्व												
आय	32,078.19	26,409.31	6.71	2.85	8,261.19	4,355.25	2,681.99	908.24	217.11		43,245.19	31,675.65
बिक्री (उत्पाद शुल्क और बिक्रीकर छोड़कर)			1,278.47	1,099.69					134,558.09	14,342.80	14,836.56	15,442.49
अंतर–खंडवार बिक्री			1,081.11	1,110.39							1,081.11	1,110.39
रेलयात्री निवास और रेलवे होटल	2,405.68						111.59	64.14			111.59	64.14
बिक्री/आय (बेडरोल एवं सफाई)		2,926.27							117.74	1,597.36	2,523.42	4,523.63
कुल राजस्व	**34,483.87**	**29,335.58**	**1,285.18**	**1,102.54**	**8,261.19**	**4,355.25**	**2,793.58**	**972.38**	**13,892.94**	**15,940.16**	**60,716.76**	**51,705.91**
खण्डवार परिणाम	**6,921.78**	**4,822.51**	**135.31**	**6.72**	**4,689.31**	**1,707.33**	**-197.64**	**-359.68**	**-5,497.88**	**-3,898.59**	**6,050.89**	**2,278.30**
अनाबंटित कॉरपोरेट आय		-										
अनाबंटित कॉरपोरेट व्यय		-										
संचालन लाभ	**6,921.78**	**4,822.51**	**135.31**	**6.72**	**4,689.31**	**1,707.33**	**-197.64**	**-359.68**	**-5,497.88**	**-3,898.59**	**6,050.89**	**2,278.30**
ब्याज आय											1,159.93	1,060.48
आयकर (आस्थगित कर/एफबीटी शामिल है)											2,734.49	1,222.61
साधारण कार्य–कलापों से लाभ	**6,921.78**	**4,822.51**	**135.31**	**6.72**	**4,689.31**	**1,707.33**	**-197.64**	**-359.68**	**-5,497.88**	**-3,898.59**	**4,476.33**	**2,116.17**
पूर्व अवधि लाभ (–)/व्यय	-187.43								0.85	28.69	-186.58	28.69
बट्टे खाते डाले गए अथवा प्रावधान किए गए अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण					4.05	12.57					4.05	12.57
बेची गई परिसंपत्तियों पर हानि	5.96		-0.01		1.81				0.99		8.75	0
पूर्व अविध के लिए प्रदत्त आयकर											0	0
शुद्ध लाभ	**7,103.25**	**4,822.51**	**135.32**	**6.72**	**4,683.45**	**1,694.76**	**-197.64**	**-359.68**	**-5,499.72**	**-3,927.28**	**4,650.11**	**2,074.91**
अन्य सूचना												
खंडवार परिसंपत्तियाँ	40,399.99	30,423.15	2,418.63	1,845.04	8,868.87	5,552.23	1410.08	350.20	-2,679.93	860.76	50,417.64	39,031.38
अनाबंटित कॉरपोरेट परिसंपत्तियाँ		-									7,061.56	5,422.16
जोड़ परिसपत्तियाँ	**40,399.99**	**30,423.15**	**2,418.63**	**1,845.04**	**8,868.87**	**5,552.23**	**1,410.08**	**350.20**	**-2,679.93**	**860.76**	**57,479.20**	**44,453.54**
खंडवार देयताएँ	30,582.1	29,356.95	228.19	348.13	5,418.05	1,046.08	517.96	295	2,064.79	1,344.13	38,811.09	32,390.29
अनाबंटित कॉरपोरेट देयताएँ											7,035.60	3,919.56
जोड़ देयताएँ	**30,582.1**	**29,356.95**	**228.19**	**348.13**	**5,418.05**	**1,046.08**	**517.96**	**295**	**2,067.79**	**1,344.13**	**45,846.69**	**36,309.85**
पूंजीगत खर्च	348.15	459.82	427.94	3.33	610.73	1,309.69	105	45	52.83	167.9	1,544.65	1,985.74
अनाबंटित कॉरपोरेट खर्च												
जोड़ कॉरपोरेट खर्च	**348.15**	**459.82**	**427.94**	**3.33**	**610.73**	**1,309.69**	**105**	**45**	**52.83**	**167.09**	**1,544.65**	**1,985.74**
मूल्यह्रास	**317.12**	**258.36**	**101.42**	**105.38**	**539.65**	**439.74**	**20**	**3**	**32.17**	**21.68**	**1,010.36**	**828.16**
अनाबंटित कॉरपोरेट मूल्यह्रास											**0**	**0**
जोड़ मूल्यह्रास	**317.12**	**258.36**	**101.42**	**105.38**	**539.65**	**439.74**	**20**	**3**	**32.17**	**21.68**	**1,010.36**	**828.16**

टिप्पणी : 1. विभागीय खानपान जिसमें गैर–रेलवे केटरिंग शामिल हैं।

2. अंतर–खण्डवार बिक्रियों को कुल राजस्व में नहीं लिया गया है।

29. प्रतिशेयर आय

प्रति शेयर आय (मूल और कम की गई) के परिकलन के लिए माने गए घटक निम्नलिखितानुसार हैं :–

	2008–09	2007–08
गणक न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त शुद्ध लाभ (लाख रु. में)	4650.11	2074.91
हर (डिनोमिनेटर) के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की संख्या (संख्या लाख में)	200	200
प्रतिशेयर आय–मूल (रु. में)	23.25	10.37
प्रतिशेयर आय–कम की गई (रु. में)	23.25	10.37
प्रतिशेयर अंकित मूल्य (रु. में)	10.00	10.00

30. कॉरपोरेशन का निर्धारण वर्ष 2005–2006 तक आय कर निर्धारण पूरा हो गया है। उससे संबंधित सभी समायोजन कॉरपोरेशन के बही खाते में कर दिया गया है।

31. कॉरपोरेशन की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी रेल मंत्रालय द्वारा रखी जाती है।

32. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक था, पुनर्व्यवस्थित / पुनर्समूहित और दुबारा तैयार किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाया जा सके।

33. **छठे केन्द्रीय वेतन आयोग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दूसरे वेतन संशोधन आयोग और उनके मंहगाई भत्ता के विलयन के बकाया का प्रावधान :–**

बकाया का विवरण	बकाया की अवधि	2008–2009	2007–2008
छठे केन्द्रीय वेतन आयोग का बकाया	01 जनवरी, 2006 से 31 मार्च, 2008 तक	1114.41	1727.50
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दूसरे वेतन संशोधन आयोग का बकाया	01 जनवरी, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक	221.37	545.58
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता विलयन का बकाया	01 जनवरी, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक	कुछ नहीं	141.40

34. (क) 216 लाख रु. का दान :

बोर्ड ने संकल्प संख्या 14 के द्वारा 28.11.2008 को आयोजित बोर्ड की 40वीं बैठक में रेल मंत्री कल्याण एवं राहत निधि के लिए 200 लाख रु. का दान तथा बिहार के बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के लिए रेलनीर की 1 लाख बोतलें मंजूर किए जाने में प्रबंधन की कार्रवाई का अनुसमर्थन किया। उपर्युक्त व्यय को धारा 80 जी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, इस लिए कटौती की अनुमति नहीं दी गई है।

(ख) 5.20 लाख रु. का बाढ़ पीड़ित कोषः

कंपनी ने उपर्युक्त प्रयोजन के लिए विभिन्न कर्मचारी सदस्यों से उपर्युक्त रकम एकत्र की परंतु उसका भुगतान नहीं किया गया है। उसके निपटान के लिए उचित निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है।

35 निम्नलिखित के संबंध में निम्नलिखित करार अभी निष्पादित किए जाने हैं :

(क) एसटीसी भवन, जनपथ में भूतल पर स्थित कार्यालय परिसर।

(ख) बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 7वीं और 9वीं मंजिल पर स्थित कार्यालय परिसर।

(ग) नांगलोई में स्थित रेलनीर संयंत्र में सौर तालाब (सोलर पोंड) के लिए 2100 वर्ग मीटर की भूमि।

(घ) आईआरसीटीसी ने आईआरआईटीएम संस्थान के नवीकरण के लिए 1.08 लाख रु. खर्च किए, बहरहाल, कंपनी के लिए राजस्व जनरेशन हेतु कोई करार नहीं हुआ है।

निम्नलिखित मामलों में लीज समाप्त हो गई है और उनका नवीकरण किया जाना है:–

(क) नांगलोई स्थित रेलनीर संयंत्र में 5000 वर्ग मीटर भूमि की लीज 23.05.2003 को समाप्त हो गई।

(ख) पटना में 31.03.2008 को 2300 वर्ग फुट के कार्यालय स्थान की लीज समाप्त हो गई।

36 2008–09 के दौरान, आईआरसीटीसी ने 37.50 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर, जो लागत में वृद्धि और कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन के कारण बाद में 49.48 करोड़ रु. तक बढ़ गई थी, पेन इंडिया लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन के प्रचालन और प्रबंधन के लिए मैसर्स कॉक्स एण्ड किंग्स इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन को आईआरसीटीसी के खाते में पूंजीकृत किया जाएगा। जेवी पार्टनर का अंशदान (कुल लागत माइनस (–) पूंजी सब्सिडी) के 50 प्रतिशत के बराबर होगा। परियोजना का मूल्य निरूपण भारत के पयर्टन वित्त निगम द्वारा किया गया है, जो परियोजना को 12.37 करोड़ रु. अर्थात् प्रमोटरों के अंशदान के 25 प्रतिशत के बराबर की पूंजी सब्सिडी के लिए हकदार बनाता है। जेवी पार्टनर द्वारा अंशदान आईआरसीटीसी और कॉक्स एण्ड किंग्स दोनों की जेवी कंपनी को प्रतिभूति रहित कर्ज के रूप में होगा। जेवी कंपनी मैसर्स रायल इंडियन रेल टुअर लिमिटेड आईआरसीटीसी को वर्षवार लीज भुगतान के संबंध में समायोजन योग्य अग्रिम लीज किराया के रूप में आईआरसीटीसी को एक समानक रकम अग्रिम देगी। जेवी कंपनी और जेवी पार्टनर द्वारा रकम देय है, जो लग्जरी ट्रेन निर्माण ठेकेदार से मांग किए जाने पर निर्भर होगी। 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार आईआरसीटीसी ने 389.50 लाख रु. का अग्रिम लीज किराया प्राप्त किया है और 779 लाख रु. ट्रेन के निर्माण पर खर्च किए गए हैं, जिसे पूंजीगत चालू कार्य के अंतर्गत दर्शाया गया है।

37. I से XXV अनुसूचियाँ तुलनपत्र और लाभ व हानि लेखा का अभिन्न भाग बनती हैं।

कृते एस.पी. मारवाह एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स

निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता. /-	हस्ता. /-	हस्ता. /-	हस्ता. /-
एम.एल. जोतवानी	**राकेश कुमार टंडन**	**वी. आर गुप्ता**	**राकेश गोगिया**
पार्टनर	**प्रबंध निदेशक**	**निदेशक (वित्त)**	**कंपनी सचिव**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 अगस्त, 2009

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

तुलन–पत्र सार और कंपनी के कारोबार की रूपरेखा

कारोबार की रूपरेखा

I पंजीकरण ब्यौरा

पंजीकरण संख्या	: 101707	राज्य कोड	: 55
तुलन–पत्र की तारीख	: 03/31/2009		

II वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी (राशि हजार रु. में)

पब्लिक इश्यू	**राइट इश्यू**
शून्य	शून्य
बोनस इश्यू	**निजी नियोजन**
शून्य	शून्य

III निधियों के जुटाने और नियोजन की स्थिति (राशि हजार रु. में)

कुल देयता	**कुल परिसंपत्तियाँ**
5,747,920	5,747,920

i) निधियों का स्रोत (राशि हजार रु. में)

प्रदत्त पूंजी	आरक्षित निधि और अधिशेष	आस्थगित देयता
200,000	944,581	18,670
शेयर उपयोग		
शून्य		
प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	
शून्य	शून्य	

ii) निधियों का उपयोग (राशि हजार रु. में)

शुद्ध अचल परिसंपत्तियाँ	निवेश	शुद्ध चालू परिसंपत्तियाँ
421,255	25020	617,392
विविध व्यय	संचयी घाटा	पूंजीगत चालू कार्य
शून्य	शून्य	99,584

IV कंपनी का कार्य–निष्पादन (राशि हजार रु. में)

अन्य आय सहित कुल कारोबार (टर्नओवर)	कुल व्यय
6,187,668	5,467,866
कर पूर्व लाभ/हानि	करोपरांत लाभ/हानि
738,460	465,011
प्रति शेयर आय	लाभांश दर (करोपरांत शुद्ध लाभ का %)
23.25	20.02%

V. कंपनी के तीन मुख्य उत्पादों के नाम

मद कोड सं.	लाइसेंसधारक केटरिंग
सेवाएं	इंटरनेट टिकटिंग
	रेल नीर
	पर्यटन
	विभागीय खानपान कारोबार

हस्ता. /-	हस्ता. /-	हस्ता. /-
राकेश कुमार टंडन	**वी. आर. गुप्ता**	**राकेश गोगिया**
प्रबंध निदेशक	**निदेशक (वित्त)**	**कंपनी सचिव**

सत्यमेव जयते

गोपनीय

सं./ No.स.ले.प.III/ प्रति/ अकाउंटस/3-1/2008-09/604

कार्यालय

प्रधान निदेशक, वाणिज्य लेखापरीक्षा

एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-III

नई दिल्ली

OFFICE OF THE

PRINICIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT

& EX-OFFICO MEMBER, AUDIT BOARD-III

NEW DELHI

दिनांक /Date : 11 सितंबर 2009

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड
नई दिल्ली।

विषय : **कंपनी अधिनियम की धारा 619(4) के अधीन इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-09 के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।**

महोदय,

मैं इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-09 की समाप्ति हेतू कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन लेखों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित करती हूँ। कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

संलग्न यथोपरि

भवदीया

ग़ज़ाला मीनाई

(गजाला मीनाई)

प्रधान निदेशक

छठा एवं सातवाँ तल, एनेक्सी बिल्डिंग, 10, बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली - 110 002

6th & 7th floor, Annexe Building, 10, Bahadurshah Zafar Marg, NEW DELHI-110002

e-mail: mabnewdelhi3@cag.gov.in

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के लेखाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट प्रारूप के अनुसार 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेवारी है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अपने व्यावसायिक निकाय भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षण और आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणों के संबंध में राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेवार है। यह बताया गया है कि उन्होंने अपनी दिनांक 26 अगस्त, 2009 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार अपनी यह जिम्मेवारी पूरी की है।

मैंने,भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों की, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ख) के अंतर्गत पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के दस्तावेजों के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्रारंम्भिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखाकरण रिकॉर्डों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर, ऐसी कोई महत्वपूर्ण विषमता मेरी जानकारी में नहीं आई है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अथवा अनुपूरक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी दी जाती।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से।

गजाला मीनाई

(गजाला मीनाई)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य,
लेखापरीक्षा बोर्ड–III, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11 सितम्बर, 2009

सेल किचन
Cell Kitchen

क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और सीआईआई–इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी आदि के सहयोग से खा्द्य संसाधन उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित फूड सेफ्टी एण्ड क्वालिटी सम्मिट के उद्घाटन के अवसर पर श्री अशोक सिन्हा, सचिव, खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय और श्री उत्तम चटर्जी, अध्यक्ष, सीआईआई एक्सपर्ट ग्रुप ऑन फूड सेफ्टी एण्ड क्वालिटी के साथ दीप प्रज्ज्वलित करते हुए आईआरसीटीसी के प्रबंध निदेशक श्री राकेश टंडन।

Shri Rakesh Tandon, MD/IRCTC inaugurating Food Safety and Quality Summit organized by Ministry of Food Processing Industry in association with Quality Council of India and CII – Institute of Quality etc. by lighting the lamp along with Shri Ashok Sinha, Secretary, Ministry of Food Processing Industry and Shri Uttam Chatterjee, Chairman, CII Expert Group on Food Safety & Quality.

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

आईआरसीटीसी की संयुक्त उद्यम कम्पनी, रायल इंडियन रेल टुअर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) और कॉक्स एण्ड किंग्स इंडिया लिमिटेड द्वारा महाराजा एक्सप्रेस, पैन लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन में हवेली रेस्त्रां का दृश्य

A view of Haveli Restaurant in The Maharaja Express, a Pan Luxury Tourist Train launched by JV Company, Royale Indian Rail Tours Limited (RIRTL) of IRCTC and Cox & Kings India Ltd.

आईआरसीटीसी इंटरनेट टिकटिंग वेबसाइट : www.irctc.co.in

IRCTC Internet Ticketing Website : www.irctc.co.in

माननीय गृहमंत्री श्री पी. चिदम्बरम से राष्ट्रीय पर्यटन उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त करते हुए आईआरसीटीसी के प्रबंध निदेशक, श्री राकेश टंडन। इस अवसर पर माननीया पर्यटन मंत्री श्रीमती अम्बिका सोनी एवं डॉ. नलिन सिंघल, निदेशक (पर्यटन एवं विपणन), आईआरसीटीसी भी उपस्थित थे।

Shri Rakesh Tandon, MD/IRCTC receiving National Tourism Award of Excellence from Shri P. Chidambaram, Hon'ble Minister for Home Affairs in presence of Hon'ble Minister for Tourism, Smt. Ambika Soni and Dr. Nalin Shinghal, Director (Tourism & Marketing), IRCTC.

भोपाल में आयोजित एक भव्य समारोह में जनता सुविधा श्रेणी में अत्यधिक नवप्रवर्तित पर्यटन पैकजों के लिए मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन पुरस्कार प्राप्त करते हुए मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, भोपाल, श्री वीरेन्द्र सिंह

Shri Virender Singh, CRM/Bhopal receiving Madhya Pradesh State Tourism Award for Most Innovative Tourism Packages in Mass Facilitation category from Shri Shivraj Singh Chouhan, Chief Minister, Madhya Pradesh in a glittering ceremony held at Bhopal.

आईआरसीटीसी टूरिज्म वेबसाइट : www.railtourismindia.com

IRCTC Tourism Website : www.railtourismindia.com

इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम–मिनी रत्न श्रेणी-I)

Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd.

(A Govt. of India Enterprise–Mini Ratna Category-I)

Designed & Printed by :
Vijayalakshmi Printing Works Pvt. Ltd., E-mail: vpwpl@yahoo.com Mob.: 9899452227